INDEX

Sr.	**Research Subject**	**Pg. No.**
	Editorial	
1	Curcuma *aromatica*- An Important ethno-botanical plants, its propagation and Cultivation technique : Dr. Rajendra Jain	1-3
2	महिला आरक्षण की राजनीति : Dr. Kamlesh Narwar	4-7
3	वैदिक चिंतन और महिला षिक्षा 'नास्ति माता समो गुरूः।' : डॉ. ममता सिंह	8-11
4	तुलसीसाहित्य में अन्य प्रचलित संस्कारों की मान्यतायें : डॉ. श्रीकान्त शरण पाण्डेय	12-14
5	लोक साहित्य और मनोविज्ञान का अन्तर्सम्बन्ध : डॉ. श्रीमती संगीता सुहाने	15-16
6	मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र एवं पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास : डॉ. संजय सिंह चौहान	17-25
7	विद्युत उत्पादन एवं पर्यावरणीय प्रभाव : Dr. Sunita Dixit	26-28
8	वन एवं वन प्रबंधन : Dr. Sunita Jain	29-32
9	पर्यावरण एवं जागरूकता : Dr. Kamlesh Narwar	33-36

Curcuma *aromatica*- An Important ethno-botanical plants, its propagation and Cultivation technique

Dr. Rajendra Jain : HOD, Dept. of Botany, Swami Vivekanand University Sagar (M.P.)

Introduction – India possesses perhaps the richest and the most diversified flora in the world. Leaving aside the wide range of drugs used in indigenous medicine in India about 1500-2000 species in our country are reported to be potentially medicinal. They are attributed with a number of medicinal curative uses properties and vernacular name in different system of medicine are described.

Certain herbal drugs are obtained exclusively from wild source. The process of collection of crude drugs and ethno-medicinal plant, besides being a laborious job is very expansive too, which ultimately cost more for the production of drugs and medicines.

These difficulties in collection of medicinal plants growing wild are mainly the reasons which suggest that the medicinal plants should be cultivated. In order to ensure a regular supply of all drugs of standard quality to the pharmaceutical industries, is essential that herbs growing in natural state should be brought under systematic cultivation and these which are exotic should be protected.

According to Chopra *et. al.* (1948) the perimental cultivation of some of the exotic plant was started in India as long as the beginning of the 18^{th} century.

In present work cultivation trials of Curcuma *aromatica* are done to ascertain the best technique of cultivation in Indian conditions.

(1) Cultivation of Curcuma *aromatica.* Salisb

Curcuma a genus of about 70 species of rhizomatous herbs comes under the family zingibaraceae. Curcuma *aromatica* is an ethno-medicinally important species under genus Curcuma Linn. This species is well distributed in India extending from Andhra Pradesh, Maharastra, Orrisa Tamilnadu, Karnatka, Kerala and Madhya Pradesh.

MATERIAL AND METHOD-

Experimental cultivation of Curcuma *aromatica* was done under following heads.

1. Propagation technique

(a) Preparation of beds- A bed was prepared during the end of summer seasons above 1 X 1.5 meter area was prepared as an experimental bed. In these beds red sandy or yellow clay- loam soil was used. This soil was sufficiently porous and free from weed, seed and other harmful organism. The soil which was used in bed moderately rich in Nitrogen and phosphorus, it was slightly acidic in nature. To lower pH of highly acidic soil ammonium sulphate was used and to raise the pH of highly acidic soil, calcium nitrate fertilizers was utilized. The crop of Curcuma *aromatica* cannot with fund alkalinity.

(b) Pre planting treatment of soil- Pre- planting treatment of soil was done by heating method. The soil was heated to temperature of 80^0C for 30 minutes.

(c) Manuring- Curcuma *aromatica* needs nearly heavy manuring, cattle manure or compost as a basal dressing at the rate of 15kg/m^2 was applied at the time of preparation of beds. To supply nitrogen and phosphorus for growing plants, the mixture of urea and single super phosphate was applied.

(d) Planting material- In present experimental trials, the cuttings of selected healthy, well developed and non diseases from rhizomes were used as planting material. The material was collected from field sited and was stored is saw dust or sand or at low temperature in storage carbonates. In case of rhizomes planting the rhizomes were divided into small pieces and each piece bears a shoot bud. The cluster of roots were divided shortly before planting.

The rhizome cutting were treated with 0.25% solution of AH Agallol for 30 minutes and drained before planting.

(f) Method of planting- Direct planting of Rhizome cutting in field was done by forming ridges and furrows. A spacing of 20c.m. between rows and 15 cm. between plants was adopted. The cuttings were planted vertically at a depth of 0.5 cm. in furrows. About 100 cuttings were planted in bed of 1 X 1.5 meter area.

(g) Use of fertilizers- To enhance the supply of more nitrogen for growing plants area fertilizers was used periodically.

(h) Irrigation- Irrigation was not required because the period of crop is rainy season. While depending upon the soil and rainfall 2 or more irrigation were done.

Observation procedure – To observe growth and development of growing plants following heads are selected-

(A) No. of days taken for sprouting.
(B) Sprouting rate.
(C) No. of days taken for flowering.
(D) No. of days taken for fruiting.
(E) No. of days taken for ripening and maturity.
(F) Weight of plants at the time of maturity.
(G) No. of leaves.
(H) Length of leaves.
(I) No. of rhizome tubers.
(J) Size of rhizome tubers
(K) Weight of fresh rhizome tubers
(L) Weight of dry rhizomes tubers
(M) Yield / M^2

(2) Harvesting- Rhizomes of Curcuma *aromatica* were collected during early winter after the first year growth. The land was dug and tubers were gathered by hand picking.

(3) Storage- Rhizomes were stored in saw dust at cool and dry places after perfect shade drying. Shade drying is applied when it is desirable to retain the natural colour of tuberous roots.

Table – Observation on growth and development of Curcuma *aromatica*-

S. No.	Observation points	Results
1	Desired time for sprouting	20-25 days
2	Sprouting rate	60-70%
3	Observed time of flowering	45-55 days
4	Observed time of fruiting	60-70 days
5	Observed time for fruiting ripening	10-22 days
6	Observed time for maturity	80-100 days
7	Height of plant and maturity	30-35 days
8	No. of leaves per plant	2-4
9	No. leaves on maturity (without petiole)	28-30 cm.
10	No. of Rhizome tubers	3-46
11	Size of rhizome tubers	2-3.5cm.
12	Weight of single fresh rhizome tuber	2.4 -4 gm.
13	Weight of single dry rhizome tuber	0.87-1.5 gm
14	Yield /m^2	500 gm/m^2 area.

Growth pattern- Rhizomes grow by elongation of the growing points produced at the terminal end and on lateral branches. Length also increases by growth in the lower part of the internodes. As the plant continues to grow and the older part dies the several branches arising from one plant may

eventually become separated to form individual plants of a single clone.

In the case of Curcuma *aromatica* several tuberous roots arising from mother rhizome. The produced by the plants to tide over the unfavorable dry spell of the summers as they remain dormant after withering away of the herbaceous shoot

When the favorable season comes i.e. the fall, prior to that dormant parts are activated, a bud is produced which draws food from the old storage roots and rhizome during the initial growth period. As soon as the plant established itself the old root stock are disintegrates and new ones are produced by the activity photosynthesizing plant.

Result and discussion-

It was also realized during study that in natural habitats Curcuma *aromatica* produced viable seeds but the rate of germination was low. In natural habitats they are mainly propagated by rhizomes. Nambiar *et. al.* (1982) considered that the propagation of Curcuma *aromatica* may be also done by cuttings of mother root stock. The genes Curcuma Linn commonly bear rhizomatous root stock but the root stock of this species is tuberous.

In present work cultivation trial of Curcuma *aromatica* has clearly indicated that the rhizomes are the main propagating organs of this species. The results of cultivation trial has also suggested that the growth and development of Curcuma *aromatica* is much better in red – sandy soil which has moderate amount of nitrogen and phosphor and is mildly acidic in nature.

Reference-

(1) Chopra et. *al* (1948) “Scope for the cultivation of medicinal plant in India” four of sci. and Ind. Res. Vol. VII (12)pp 527-534.

(2) Bhalla, N.P. et. al. – “Traditional plant medicines of Sagar district, M.P. India, J. Eco. Taxo. Bot. 3pp 23-32.

***

efgyk vkj{k.k dh jktuhfr

Dr. Kamlesh Narwar: Ass. Prof., Department of Political Science Swami Vivekanand University, Sagar (M.P.)

efgykvk dh Hkkjr e fLFkfr %& प्राचीन भारत में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था। समाज में सुख समृद्धि और सम्पन्नता के तीन ही आधारों की प्रतीक सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा रूपी स्त्रियाँ ही मानी जाती हैं, उसी प्रकार वैदिक काल में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति तथा सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में उनका महत्व बना रहा। मध्यकाल से महिलाओं की स्थिति का क्षरण होना शुरू हुआ। और धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप में बिगड़ती गई। विदेशी आक्रांताओं के आगमन से हमें महिलाओं का सम्मान और उनकी आबरू खतरे में दिखाई जाने लगी तो हमने उन पर परम्पराओं के नाम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगायी जाने लगी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके भाग लेने को भी सीमित कर दिया। आजादी की लड़ाई में गाँधीजी ने आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया। स्वतंत्रता संग्राम में तथा उसके बाद के दौर में भारत के राजनीतिक पटल पर कई महिला राजनीतिज्ञ आयी और अपनी छाप छोड़कर चली गई।

जैसेः– कमला जी, चंद्रोपाध्याय, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरूणा आसफल अली, इंदिरा गाँधी, सुचेता कृपलानी इत्यादि लेकिन इन सफल महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य रहीं है।

efgyk vkj{k.k D;k t :jh \ %& यह सत्य है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वह अपनी समूची आबादी के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास न करें। सदियों से दमित व शोषित महिलाओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कि वे यकायक खड़ी हो जाए व सार्वजनिक मामलों में रूचि लेने लगे। सामाजिक मामलों में अपने निर्णय देने लगे, इनके लिए उनको शिक्षित जागरूक व प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक हैं इस हेतु उन्हें कुछ सुविधाएँ प्रदान करनी आवश्यक है।

पुरूष प्रधान समाज में शासकीय संरक्षण देकर महिलाओं की स्थिति को अधिक मजबूत किया जा सकता है। बदलते हुए सामाजिक प्रतिमानों महिलाओं के ऐतिहासिक, सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक, संदर्भो में परिभाषित करना होगा। महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना होगा।

efgyk l'kfDrdj.k d i;kl %& वर्तमान में महिला सशक्तिकरण पर चहूँ ओर जोर दिया जा रहा है सशक्तिकरण की आवश्यकता यह इंगित करनी है कि महिलाओं की स्थिति वर्तमान में पर्याप्त मजबूत नहीं है। वस्तुतः मानव सभ्यता की शुरूआत से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में अनेक उतार–चढ़ाव आए हैं, इन्ही उतार–चढ़ाव के परिपेक्ष्य में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर उनके लिए सशक्तिकरण हेतु सार्थक प्रयास किये जा सकते है।

स्त्री–पुरूष, नर–नारी, औरत–आदमी जैसे शब्द सहज रूप से एक साथ प्रयुक्त होते है। इनके इस तरह प्रयुक्त होने से यह बोध होता है कि स्त्री और पुरूष में समानता हैं किन्तु हजारों वर्षो से प्रत्येक समाज में स्त्री की शक्ति से प्रत्येक समाज में स्त्री की शक्ति के शोषण का कार्य पुरूष ने किया है। दुनिया में प्रत्येक धर्म में स्त्री का स्थान पुरूष की तुलना में निम्न है। यह एक ऐसा सत्य हैं जिसे अस्वीकार कर सकना भी सहज नहीं है।

जिस समाज, जिस देश में नारी की स्थिति जितनी महत्वपूर्ण सुदृढ़ सम्मान जनक व सक्रिय होगी, उतना ही वह समाज उन्नत समृद्ध होगा। इस बात को आधुनिक विचारक व चिंतक तो स्वीकार करते ही है। हमारे धर्म ग्रंथों से भी इसकी पुष्टि होती है। जिनमें यहाँ कहा गया हैं कि *^;= uk;Lr iT;Ur jeUr r= nork*** अर्थात जहाँ नारी पूज्य हैं वहाँ देवता निवास करते है। धर्म ग्रंथों से यहाँ तक पता चलता हैं कि कभी हमारे देश में मातृ सत्ता अस्तित्व में प्राचीनकाल में नारी को समानता का

दर्जा मिला हुआ था। और न व नारी की परिकल्पना एक रथ के दो पहियों के समान थी। भारतीय समाज में नारी की असत्य तस्वीर का खुलासा करती है। संयुक्त राष्ट्र की वह रिपोर्ट जिसके अनुसार उत्तरप्रदेश की एक तिहाई महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हे यह तक अधिकार नहीं हैं कि वे घर में शाम का भोजन मर्जी से पका सके।

भारत सरकार ने वर्तमान में महिलाओं के लिए 27 योजनाएँ प्रारंभ की हैं जिनमें से कुछ केवल महिलाओं के लिए है तो कुछ महिला एवं पुरूषों दानों पर आधारित हैं, पर उनका लाभ विशेषकर महिलाओं को ही दिया जा रहा है। इन योजनाओं का संचालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से किया जाता हैं जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय विज्ञान एवं बाल विकास मंत्रालय आदि इनकी योजनाओं से महिलाओं का उत्थान कुछ हद तक सार्थक हो सका है।

मध्यप्रदेश सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए है। मध्यप्रदेश में महिलाएँ मुख्यतः खेती, वन, घास, उत्पादन और शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती है। यह स्वीकार करते हुए कि महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने 1988 में अलग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया। यह पहला प्रयास था जबकि महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जो महिलाओं की विशेष स्थिति पर ध्यान देती है।

अब तक महिलाओं के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम बनाने पर जोर था मध्यप्रदेश सरकार की मान्यता है कि यदि महिलाओं को समर्थ बनाना है तो महिलाओं को दबाकर रखने वाली ताकतों के खिलाफ निरन्तर सामूहिक संघर्ष एक सतत् प्रक्रिया है। प्रदेश सरकार चाहती हैं कि जो भी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैदिक और सांस्कृतिक संसाधन समाज के पास है। उनके पुर्नवितरण की प्रक्रिया पर जोर दिया जाए, ताकि महिलाओं को बराबर का हक मिल सके। हर क्षेत्र में चाहे वह परिवार कार्यस्थल या समुदाय हो, महिलाओं को निर्णय लेने के समान अवसर देने को भी प्रदेश मान्य करता है। जिसे सरकार ने अब 50 प्रतिशत करने की घोषणा कर महिला नेतृत्व को और अधिक मजबूती प्रदान की है।

;kstukvksa dk uke %&

1. विपत्ति ग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता।
2. महिलाओं के लिए अल्पकालीन आवास।
3. गाँव की बेटी योजना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के लिए साइकिल वितरण।
5. लाड़ली लक्ष्मी योजना।
6. जननी सुरक्षा योजना।
7. आर्थिक सहायता।
8. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।
9. निःशक्त विवाह हेतु विशेष सहायता।
10. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना।
11. ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन की योजनायें।
12. मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
13. सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति।
14. निः शुल्क पाठ्यपुस्तकें।
15. उच्चशिक्षा ऋण गारंटी योजना।

i;kZ; dk ifj.kke %& जहाँ महिलाएँ घर और चौखट नहीं लांघ सकती थी आज अंतरिक्ष में पहुँच गई हैं इस तरह महिलाओं की सोच ने नए क्षितिज को छुआ है।

आज महिला मीडिया की सहायता से अपना स्थान बना चुकी है। बंदिसों को तोड़ चुकी है चार

दीवारी से बाहर निकल चुकी है, मानव पीडिता को समझती है, महिला श्रद्धा भाव से करती हैं चिकित्सालय में कार्य, हवाई जहाज उड़ाती हैं, महिला कल्पना चावला, सुनीता भी है, अस्मणीय।

आज किरण दीदी खेल जगत में नहा नहरवाल, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पी.टी. ऊर्षा से आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं जो महिलाओं से अछूता हैं खेत खलिहानों में हल हो या वैज्ञानिक क्षेत्र में कम्प्यूटर सभी क्षेत्र में महिलाओं ने अधिकार जमाया है।

यह सब पर्याप्त नहीं हैं, सदियों से शोषित और दमित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल कानूनों, नीतियों का होना पर्याप्त नहीं है उनका ईमानदारी से क्रियान्वयन भी जरूरी है, महिलाओं में उनकों लेकर जागरूक होना जरूरी है।

vkj{k.k dh jktuhfr %& महिलाओं के उत्थान और प्रगति की दृष्टि से महिला आरक्षण के विशेष प्रावधान किये गये हैं। संरक्षण देने के साथ–साथ उनमें आत्मविश्वास जगाना है। आज भारतीय महिलाये आरक्षण के माध्यम से मात्र सुविधा भोगी नहीं बनना चाहती, अपितु अपनी योग्यताओं, क्षमताओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक स्तर पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, अपना प्रतिनिधित्व निश्चित करना चाहती है। राष्ट्रीय व सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति का उन्नयन आवश्यक है।

परन्तु म.प्र. में नगरपालिका, पंचायतों में महिलाओं को 50ः आरक्षण दिया गया है। पर वह इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाती है (म.प्र.) में 50ः आरक्षण के परिणाम भी सुखद नहीं रहें पार्षद पति सारी राजनीति संचालित करते है। वे उन्हें सही तरीके से अपने न्याय का प्रयोग करने का मौका ही नहीं देते है। नाम भर उनका होता है, पूरा काम पति द्वारा व उनकी मर्जी के हिसाब से ही होता है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के प्रयास अधूरे से तो लगते ही है साथ ही साथ महिलाओं के आरक्षण की नीति मात्र एक दिखावा ही लगती है चंद महिलाएं यदि राजनीति में सक्रिय हो जाये या अन्य क्षेत्रों में मजबूत हो भी जाये तो अन्य महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जायेगी इसमें सदैव संदेह ही बना रहेगा। दर असल उन चंद महिलाओं को जो सशक्त की श्रेणी में आ चुकी है को अन्य महिलाओं की स्थिति में सुधार के लगता है ? प्रयास करने से ही स्थिति परिवर्तित हो सकती है।

l|>ko %&

1. महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठको के कार्यो में अपने पति का प्रयोग किया जाता है। इस पर कठोरता से प्रतिबंध लगना चाहिए।
2. महिला आरक्षण में केवल वे ही महिलाएं आए जो ।
3. पंचायती राज की सफलता के लिए जागरूकता एक महत्वपूर्ण शर्त है। महिलाओं को उनके अधिकार, शक्तियाँ और कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। महिला जनप्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हे विकास के विभिन्न पहलुओं से भी परिचित कराया जाना चाहिए। उन्हे उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे महिलाएँ जल्दी समझ सके। प्रशिक्षण छोटे–छोटे समूहों में देना चाहिए जिससे प्रत्येक महिला पर प्रशिक्षक उचित समय दे सके।
4. चूँकि पंचायत प्रतिनिधि पढ़ने लिखने की सामान्य अवस्था पास कर चुके है। अतः उनके स्तर पर ही शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके लिए स्थानीय महिला प्रशिक्षका आवश्यक है।
5. पंचायत प्रतिनिधि अधिकतर काम करने वाले है अतः प्रशिक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस प्रशिक्षण से उनके जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।
6. ऐसे परिवारों की पहचान की जाए जिनकी मुखिया महिलाएँ हो तथा जिनके पास रोजगार, आवास और स्वच्छ जल के स्त्रोत नहीं हैं, उन्हें आवास दिया जाए तथा वयस्क महिलाओं को रोजगार पर लगाया जाये।
7. महिला पंचायत प्रतिनिधि बड़ी संख्या में अशिक्षित है जो उनके लक्ष्य तक पहुँचने में मुख्य बांधा है। अतः महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना होगा। महिला शिक्षा को अनिवार्य करना होगा। शिक्षा के आधुनिक तरीकों, फिल्म, कम्प्यूटर आदि से उन्हें इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करानी होगी,

जिससे उनमें पढ़ने के प्रति आर्कषण उत्पन्न हो। गाँव की महिला शिक्षिका द्वारा स्थानीय तरीके से शिक्षा का प्रबंध करना होगा।

8. महिलाओं को समझौतावादी नीति छोड़कर अपनी राय को महत्व देना होगा।
9. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौपी गई है। इस अधिनियम से पंचायती राज अधिनियम के संचालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। परन्तु महिलाएँ इस दायित्व को तभी ठीक से निभा सकती है। जबकि वे पर्याप्त प्रबुद्ध एवं शिक्षित हों।
10. शिक्षित और जागरूक महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा औन अपना अस्तित्व किसी महिला अथवा पुरूष के रूप में कायम न रख कर एक मजाक के रूप में अपनी पहचान बनाने के प्रति कटिबंध होना पड़ेगा। तभी लैगिग विषमता और, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी।
11. महिला जन प्रतिनिधियों को यह जबावदारी सौपी जायें कि वह महिलाओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक व सशक्त करें।
12. महिलाओं के अधिकारों का हनन व उनका शोषण करने वालों को अत्यधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।
13. विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यो से महिलाओं को वंचित न रक्षा जाए और सामान्य विकास के कार्यो के अलावा महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाए।

इस शोध आलेख के माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करते समय केवल उन्हीं महिलाओं को यह आरक्षण प्रदान किया जाये जो लगातार 10 वर्षो तक स्थानीय शासन में अपनी जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सहभागिता कर चुकी है। जैसे प्रावधान भी रखे जाना चाहिए।

***

o|fnd fp|ru vk|j efgyk f'k{kk

^ukfLr ekrk lek x|:%A^

Mk- eerk fl|g] प्राध्यापक, स्वामी विवेकानंद विष्वविद्यालय

हिंदू तत्वज्ञान के श्रेष्ठ चिंतक अभ्यासक Hindu View of Life [1] में तथा 1947 में डॉ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित षिक्षा आयोग में हिंदू स्त्री जीवन के संदर्भ में विचार प्रकट किये हैं। महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था। बुद्धिमानी, तेजस्विनी, पद्मिनी ने शीलरक्षणार्थ प्राण भी दिये। यह हैं हिंदू परंपरा। हिंदू चिंतन में समग्रता है । अतः केवल स्त्री या केवल पुरुष का पूर्णतः अलग संदर्भहीन विचार नही। दोनों का महत्त्व है – दोनों परस्परावलंबी है, परस्परपूरक हैं। इनके स्वस्थ चिंतन पर ही स्वस्थ समाज की निर्मिती संभव हैं।

vkt bl fp|ru dh vko';drk D;k \

विष्वभर में हिंदू चिंतन के बारे में परिवार व्यवस्था के बारे में उत्सुकता है। संभ्रमित मानवजाति को मानसिक सुख समाधान देनें का सामर्थ्य इसी जीवनपद्धति में है ऐसा संकेत पष्चिमी तत्त्वज्ञानी दे रहे हैं भारत में भी उसके बारे में घोर अज्ञानता, गलत धारणा हैं – हिंदू को दकियानुसी, राष्ट्र तोडनेवाला माना जा रहा है। महिलाओं के प्रति अनुदार है ऐसा माना जाता है। भौतिकवादी विचारों से प्रभावित लोग इसका मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। अतः आधेअधूरे ज्ञान के आधार पर संपूर्ण हिंदू जीवनधरा को मलिन करने का प्रयास कर रहे है।

रुस की सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में चिंतन करते समय गोरबाचोल का निवेदन 'हिंदू संस्कृति की महिलाओं [2] के बारे में सोच है', उसी की पुष्टि हैं। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण व्यक्तिवाद, अधिकार प्रधानता बढी हैं। परिणामतः परिवार में विघटन हो रहा है, प्रेम विष्वास का अभाव बढ रहा हैं। समाज में हिंसा, व्यसनाधीनता, अनैतिकता, वैफल्य, राक्षसी वृत्ति बढ रही हैं। राष्ट्रधर्म का विचार गौण हो रहा है। इस परिस्थिति को संवारनेवाली स्त्री निर्माण होने के लिये अपना चिंतन क्या हैं, यह देखना है तभी उसका संभ्रम दूर होगा।

jk"VL; l|n<k 'kfDr% lektL; p /kkfj.khA
Hkkjr| l|Ld`rk ukjh lrk ukjk;.kh lnkAA

स्त्री राष्ट्र की सुदृढ शक्ति है, समाज को धारण करती है, भारत में संस्कारित नारी को नारायणी दैवी गुणों से युक्त माना गया हैं। अपने स्वयं के आचरण से, बनानेवाली – बिगाडनेवाली भी वही है। उनमें सामंजस्य समायोजन है। स्पर्धा– संघर्ष नही परंतु किसी एक अंग की उपेक्षा न हो यह भी देखना हैं। इसी कल्पना से अर्धनारी नटेष्वर का विधान हैं। एक ही शरीर के अंग होने से एकरुपता – वहाँ देवत्व दीव्यत्व प्रकट होता है। स्वामी विवेकानंद [3] ने यही भाव अलग पद्ध्ती से प्रकट किये भारतराष्ट्ररुपी गरुड पक्षी के दो पंख स्त्री और पुरुष। दोनों सक्षम समबल होने की आवष्यकता। विदूषी माहिलाओ का विचार रहा है कि समाज का 50% भाग राष्ट्रभावना से अलग रहकर राष्ट्र की प्रगति नहीं कर सकेगा। हिंदू माता की संस्कारीक्षमता ध्यान में लेकर, उसका स्नेह सेवा क्षमाभाव का विचार करके उन्होंने कहा कि एक स्त्री को संस्कारित करने से पूरा परिवार संस्कारित होगा। संस्कार भावी पीढी में सक्रंमित करना यही राष्ट्र की शक्ति हैं। विष्व में सब से प्राचीन साहित्य है ऋग्वेद [4] – हिंदूज्ञान का भंडार वेद । उस में लगभग 30 मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएँ हैं (विष्वतारा, अपाला, लोपामुद्र, शष्वती, शषीयसी, घोषा, वाक्, रोमषा, सूर्यासावित्री, श्रद्धा, कामायनी, पौलोमी इ.) ये सब ज्ञानी –आत्मज्ञानी थी – उपनयन होता था।

महिलाओं में जाकर गृहषासन, पति की अनुपस्थिति में जीविका – निर्वाह, दृष्ट पुरुषों से बचाव करना, धर्मरक्षण संवर्धन व्यवहार, कर्तव्य के बारे मेंजानकारी देना । षिक्षा के सभी क्षेत्र खुले थे साथ ही षिक्षा के दो स्वतंत्र पाठ्यक्रम थे। अविवाहित रहकर ज्ञानचर्चा में समाज सेवा में जीवन समर्पित करनेवालों के लिये ब्रम्हवादिनी और विवाह करके गृहस्थी संभालनेवालों के लिये सद्योद्वाहा। दोनों का

सम्मान था। अविवाहित रहना, स्वयंवर करना, पिता का अंत्यसंस्कार करना इत्यादि रूढ था। सतीप्रथा नही थी। पिता की संपत्ति में अधिकार था।

सरस्वती भारती की योग्यता – विद्वत् चर्चा में निर्णायक । विद्वता निष्पक्षता। ज्ञान को महत्व; वय – लिंग को नहीं।

–विवाह करना अनिवार्य नही था। सुलभा –जनक संवाद। याज्ञल्क्य – मैत्रेयी संवाद, गार्गी की चर्चा 'येनांह नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यात।' आत्मज्ञान की अधिकारी, आश्रमोंकी संचालिका (विद्यापीठ) पाणिनी व्याकरण में आचार्या ऋ में अंतर।

'श्रेष्ताश्रष्तर परास्य शक्तिर्विविधैय श्रूयते – स्वाभाविका ज्ञानबलक्रिया च । शक्तिमान की शक्ति, ज्ञान बल क्रिया आदि अनेक रुपों से उस की सहकारिणी सहधर्मिणी बन रही है।

बृहदारण्यक [5] – अथ स इच्छेत् दुहिता में पंडिता जायेत – कन्याजन्म दुखकानही अयमाकाष स्त्रिया पूर्यत – एक तेन द्वे नाम – ' स्त्रीपुरुष एकात्मता – व्यास जाबाली संवाद – नास्ति मातृसमो गुरुः । स्त्री मूलाः सर्व धर्माः गृहिणी गृहमुच्यते। गृहंत ु गृहिणीहीन कान्तारादतिरिच्यते। गृहिणी सचिवः सखी मिथः इ।

रामायण [6] – सती सीता का आदर्ष । दैवीगुणसंपन्ना । अत्रिऋषि ने सीताविरहित राम को दर्षन नहीं दिया – मैं अपूर्ण का दर्षन नहीं करता।

महाभारत [7] – द्रौपदी तेजस्विनी, स्वाभिमानी, बुद्धिमान।

श्रीमद्भगवद्गीता [8] – कीर्तिश्रीवाक् च नारीणां स्मृतिमेंधा धृतिः क्षमा। ईश्रवरीय गुणों का अधिष्ठान – सप्तषक्ति सीताराम – राधाकृष्णा – गौरीषंकर – लक्ष्मीनारायण

मनुस्मृति [9]– स्त्रीधन का अपहार दंडनीय – कन्या परम स्नेह की पात्री – गार्भिणी स्त्री की चिंता । नारी का रक्षण करते समय हुई हत्या क्षम्य है।

उपाध्यायान् दषावार्याः आचार्याणां इति पिता।[10]

सहसं तु पितृन् माता गौरवेणतिरिच्यते।।

पिता रक्षति कौमारे का गलत अर्थ प्रचारित हुआ । स्त्री को गुलाम बनाने के लिये नही ंतो स्त्री के अंगभूत गुण – शुद्ध स्नेह, सेवाभव से संपूर्ण परिवार को एवं उसके माध्मय से समाज एवं राष्ट्र को संस्कार देकर एकता के सूत्र में बांधकर रखना बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य है। उसके ये गुण नष्ट न हो इसलिये पुरुष विविध अवस्थाओं में प्रयत्नपूर्वक वातावरण बनाने में अग्रेसर होता है। स्त्री मूल्यवान रत्न जैसी हैं इस लिये संरक्षण।

दुर्गा सप्तषती [11] – दुष्टषक्ति विनाष के लिये मातृषक्ति को आवाहन –समाज की अवस्था में स्त्री मार्गदर्षिका । सामूहिक इच्छाषक्ति मातृरुपिणी – संरक्षक शक्ति।

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि, श्रद्धा, शक्ति, चेतना, तृष्णा, शांती, निद्रा, क्षुधा, मातृरुपेण संस्थिता। आश्रवासक मातृत्व – यह जैविक प्रयोग नहीं – मन की अवस्था है। माँ का मन होने से ही कार्यकर्ता यषस्वी होता है। रैकी चिकित्सा में मातृस्पर्ष – दुखदर्द दूर करनेवाला स्पर्ष – प्रभावी होने के लिये मानसिक तैयारी चाहिये। सहधर्म चरत [12] – यह सहभाग 3/4, 1/4 नहीं 1/2–1/2 सभी धार्मिक कार्यो में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य। नववधू – कुलवधु कहा है – विवाहमंत्र राष्ट्रनिर्माण में सक्रिय सहभाग – दायित्वबोध – मदालसा – विदुला युद्धषास्त्रप्रवीण – विष्पला, वध्रिमती, दनु, शषीयासी, सेनाधिकारी – मुद्गलानी, कुषल सारथी कैकेयी, तारा इ. शक्तिकी (पतंजली) का अर्थ है तलवार चलानेवाली। गुरुकुलप्रमुख – अरुंधती, लोपामुद्रा, शबरी इत्यादि

जीवन के हर क्षेत्र में दायित्वपूर्ण सहभाग होने पर भी स्त्री अर्थात् मातृसुलभ गुणों का विषेष महत्व समझा जाता था।

कुपुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति।[13]

उसके ये गुण नष्ट न हो इसलिये पुरुष ने विविध अवस्था में प्रयत्नषील रहते थे। मूल्यवान धनसंपत्ती जैसा संरक्षण करना।

स्त्री का इतना सम्मान होते हुए भी सीता – द्रौपदी को संघर्ष करना पडा। स्वसंरक्षणक्षमता

आवष्यक बाह्य आक्रमणों के कारण परिस्थिति बदलती गयी। स्त्री परावलंबी बन । पुरुषप्रधानता बढती गयी। स्त्री का स्थान गौण होने लगा। रुढियों का प्रभाव अन्याय की मूक षिकार । धर्म मार्ग की बाधा – ऐसा अपप्रचार – स्त्रीजीवन के सामाजिक आयाम नष्ट हुएँ। शक हुण इस्लामी आक्रमण के कारण प्रत्यक्ष शारीरिक आघात। 18 वी शताब्दि से पष्चिमी आक्रमण – राजनीतिक पराधीनता।

शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक सुधार के बहाने मूल धारणाएँ बदलने का प्रयास –

धीमे धीमे जहर घूलता गया – व्यक्तिवाद, उपभोगवाद, समान अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता के प्रभाव में समाज – स्वामी विवेकानंदजी ने हिंदू महिलाओं के बारे में स्पष्ट विचार रखे – उनके कर्तव्य – भूमिका के बारे में मार्गदर्षन किया, और कहा भारतीय स्त्री को पुनः वैदिक काल जैसी षिक्षा देना होगा।

मैं जो कुछ हूं मेरी माँ के कारण। ^Eg.kuh Eg.krh Hky u _.k tUenp fQV^ – अंग्रेज और अंग्रेजभक्ति द्वारा हिंदू धर्म, संस्कृति परंपरा, समाजरचना का विकृत चित्र प्रस्तुत किया गया । जो जो भारतीय है वह सब हीन हैं का भाव भरा।

– समान अधिकार के लुभावने नारों के कारण प्रभाव–

आधुनिकता के नाम पर जीवनदृष्टि में परिवर्तन स्वाभाविक स्त्री की ओर माता की दृष्टि से देखने का संस्कार हटकर स्त्री एक उपभोग की चीज बनती गयी।

– परिवारकेंद्रितता के स्थान पर व्यक्तिकेंद्रितता बढी। पुरुषों की नकल करना, उनके जैसा वेष – व्यवहार करने की फॅषन – स्त्रीत्व/मातृत्व भावना को ठेस।

पष्चिमी देषों में स्त्री का स्थान पहले से ही गौण रहा इस लिये वहाँ की महिलाओं को अधिकार के लिये आंदोलन करना पडा। उसको बल भी मिला । स्त्रीमुक्ती आंदोलन की दिषा भारत में महिलाओं की उन्नति के लिये कार्य करने हेतु भगिनी निवेदिता, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे, ईष्वरचंद्र विद्यासागर, रमाबाई रानडे, राजा राममोहन रॉय जैसे लोग प्रांत प्रांत में प्रयत्न करते रहें । महात्मा गांधीजी द्वारा प्रेरित स्वाधीनता आंदोलनों में सभी स्तर क महिलाओं का सहभाग। कुछ मात्रा में कुरीतियों पर रोक। साहस बढा परंतु तात्कालिक प्रभाव रहा।

विदूषी महिलाओं ने कहा कि देवता मान कर हम पर फूल न चढाओ ना दासी मानकर ठुकराते रहो। गृहस्थी जीवन के रथ की सारथी स्त्री बने। वह क्षमता उसमें लोने के प्रयत्न हो। राष्ट्रीय दृष्टि से वह सजग हो। स्वाधीनता के पश्चात् 50 वर्षो में परिस्थिति में अनपेक्षित गिरावट आयी। सभी जीवनमूल्य ठुकराये गये। स्त्री षिक्षित हुई, अनेक महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभालने लगी परंतु सम्मान नही बढ। कभी खिल्ली भी उडायी गयी। आधुनिकता के नाम पर उच्छृंखलता, स्वतंत्रता के नाम पर स्वैरता बढती गयी। घर का घरपन ढहने लगा। सांमजस्य का स्थान संघर्ष ने लिया। करियर महत्त्वपूर्ण बना। कर्तव्य का स्थान अधिकार ने लिया, और अहंकार बढता गया।

भारत के पूरे इतिहास में समयसमय पर महिलाएँ अपनी तेज चिनगारी सुलगाती रही। अपने अंगभूत गुणों को समाज निर्माण में लगाती रही। सामाजिक सुधार में चाहे अस्पृष्यता निवारण हो या महिलाविषयक अन्य प्रष्न हो मूक रुप से काम करती रही। संस्कृति को बचाती रही, – फिर भी समाजजीवन का धर्म का आधार ही खिसकता जाने के कारण महिलाविषयक अपराधों में अकल्पित वृद्धि हो गयी।

orleku ifjfLFkfr e D;k djuk pkfg;A

हिंदू जीवनपद्धति में युगानुकूल परिवर्तन का स्वीकार करते हुए भी मूलभूत बिंदुओ का आग्रह रखना है। पष्चिमी विचारों से प्रभावित दृष्टिकोण के अनुसार स्त्री को केवल उपभोग और मनोरंजन का सायनमात्र मानने या बनने की मनोवृत्ति बदलना है। मातृवत् परदारेषु का संस्कार प्रभावी बनाना है।

केवल पुरुषों को नही ंतो स्त्रियों को भी क्षेत्र में अंषकालीन, आजीवन कार्य करने की अनुकूलता निर्माण करना। परंतु परिवार की गृहिणी के संस्कारित व्यक्तिनिर्माण कार्यको भी गौरव की दृष्टि से देखा जाय । म. गांधीजी के मतानुसार स्त्री को दासी नहीं साथी मानने की मानसिकता बनाना। आज रक्षक ही भक्षक हो गये हैं। स्त्री हिंदू चिंतन के अनुसार अपने मर्यादित ढंग से आगे बढे ना कि पौरुषीय दंभ

ढंग से।

परिवार – समाज – राष्ट्र – विष्व के प्रति उत्तररोत्तर विकसित होनेवाले अपने दायित्वोंका समतोल रखना है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे का स्मरण रहे।

परिवार की व्याप्ति विष्वतक हैं। यह सोचप्रक्रिया खंडित होगी तो आदर्ष परिवारों का उदाहरण विष्व में कहीं भी उपलब्ध रहेगा। मातृत्व संकल्पना का सही बोध। यह जैविक क्रिया नहीं – मन की अवस्था है। मागल्य, ममता, सेवा, स्वाभिमान, तेजस्विता, सस्कारक्षमता आदि भाव लेकर किसी भी क्षेत्र में जाये। पुरुषों के लिये (किसी भी कार्यकर्ता को) भी आवष्यक।

स्त्री को समर्थ बनना चाहिये (तदादर्षयुक्तं पवित्रं सतीत्व) अधिकारभावना से केवल नही ंतो हिंदू जीवनमूल्यों की प्रतिष्ठापना, पुनरुज्जीवन करने के कर्तव्यभाव से अपना घर दीपगृह बनायें। सुखीसमाधानी जीवन का राष्ट्रीय – वैयक्तिक चारित्र का दीप प्रज्वलित करे।

स्त्रियों की गुणवत्त बढने से सम्मान मिलेगा। किसी बैसाखी की आवष्यकता ना रहे। 'स्त्री याने दुर्बलता नहीं–दुर्गा' महिलाओं ने जैसा दायित्व समझा है वैसा उनको गृहित भी न लिया जाय साम्यवादी और – भौतिकवादी विचारों के प्रभाव से मुक्त होना हैं। पुरुष को दृष्टि है – स्त्री को सूक्ष्मदृष्टि है। पुरुष को जानकारी है – स्त्री को समझ है। दोनों का समन्वय हो । बेटी क्रेंडियन ने Scand stage में कहा है कि हिंदू जीवन पर्यावरण से जुडा है – परिवार में षिक्षा आर्थिक स्वावलंबिता या षिक्षा के कारण नम्रता आये शास्त्रीय (ना कि यांत्रिक) आधार पर समस्या का हल हो।

स्त्रियों पर होनेवाले अन्याय, अपमान, उनका शोषण बंद होने के लिये संपूर्ण समाज का मानस बदलना होगा " यह स्थिति समाज के पुरुषों को लज्जास्पद है" ऐसा महामहिम राष्ट्रपतिजी डॉ राधाकृष्णन जी ने स्वाधीनता दिन के भाषण में कहा था। उसका गंभीरता से विचार होना चाहिये। संस्कृति राष्ट्र की जीवनषक्ति है – उसका प्रकटीकरण परिवारों में होता है। वहाँ स्त्रीपुरुष भेदभाव न करते हुए वे परस्परावलंबी है, परस्परसंबद्ध है, परस्परसंलग्न है यह भाव निर्माण करना है। दोनों के सहयोगपूर्ण कृतित्व से तेजमय हिंदू राष्ट्र का पुनरुज्जीवन करने का श्रेष्ठ संकल्प करें।

इस दैवी कार्य के लिये स्त्रीषक्ति अर्थात मातृषक्ति का जागरण – दुराचारदुर्वृत्ति विध्वंसिनी – सुमार्ग प्रति प्रेरयन्ति शक्ति के लिये प्रार्थना – वही जीवितसाफल्य है।

I nHk I ph

1. Hindu View of Life – डॉ. राधाकृष्णन जी
2. हंदू संस्कृति की महिलाओं के बारे में सोच – गोरबाचोव
3. विवेकानंद दर्षन – स्त्रीविचार
4. ऋग्वेद – (पृष्ठ 20 से 105)
5. बृहदारण्यक – उपनिषद् (1/4/7)
6. रामायण – बाल्मीकि (1/84/6)
7. महाभारत–
8. श्रीमद्भगवद्गीता – (9/4/63/66)
9. मनुस्मृति –(4/56)
10. उपाध्यायान– तैतरीय उपनिषद् (1/11)
11. दुर्गा सप्तषती –
12. सहधर्म चरत –
13. कुपुत्रो जायेत– ष्वेताष्वरोपनिसद्

***

rqy lh lkfgR; e vU; ipfyr lLdkjk dh ekU;rk;

Mk- JhdkUr 'kj.k ik.M;] (प्रोफेसर हिन्दी–विभाग) स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सिरौजा सागर (म.प्र.) पिनः– 470228

तुलसी साहित्य में षोड्स संस्कारों को मान्यता दी गई हैं। जिनमें गंर्भाधान, पुंसबन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रास न, चूड़ाकरण कर्णबंध, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारंभ, केशान्त अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह और सोलहवां संस्कार अंत्येष्टि है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचलित संस्कारों को भी मान्यतायें प्रदान है जो 'रामचरित मानस' में उपलब्ध है और उनमें से अनेक आज भी हिन्दू जाति में प्रचलित हैः–

1- iq=kRifRr ij ckt k ct okuk:–

'परमानंद पूरि मन राजा,
कहा बोलाई बजाबहु बाजा।।1

2- iq=kRifRr ij dqyxq: dk vkeU=r djuk vkj nku nuk:–

'गुर वसिष्ठ कहँ गयेउ हँकारा।
आये द्विजन सहित नृप द्वारा।।
अनुपम बालक देखेन्हि जाई,
रूप रासि गुन कहिन सिराई।।
तेहि अवसर जो जेहिं विधि आवा,
दीन्ह भूप जो जेहिं मन भावा।।
गज रथ तुरगं हेम गो हीरा,
दीन्हें नृप नानां विधि चीरा।।2

3- fookg d io t;ekyk ifgukuk:–

'सतानंद तव आयसु दीन्हा, सीता गमनु रामपहिं कीन्हा।
– – –
चतुर सखी लरिन कहा सुझाई, परिरावहु जयमाल सुहाई।।3

4- oj dk ihy jx dk oL=:–

'केकीकंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा।।4

5- oj ?kkM ij o/k d ?kj tkuk:–

जेहि वर बाजि रामु असवारा
तेहि सारदउ न बरनै पारा।।5

6- lgkfxu fL=;k dk ckjkr ij Nuk vkj exy xhr xkuk:–

'सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारि।
चली मुदित परिछंनि करन गजगामिनिवर नारि।।1

7- le/kh&feyki:–

'सामध देखि देव अनुरागे। सुमन वरसि जसु गावन लागे।।2

8- Hkkoj fQjuk flj e lnj nuk:–

प्रभुदित मुनिन्ह भावरी फेरी। नेग सहित सवरीति निवेरी।।
राम सीय सिर सेंदर देहीं। सोभा कहिन जाति विधि केहीं।।

9- fookgkijkUr ngst l nku:–

दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा।
उवरा सो जनवासिहिं आवा।।

10- *oj&o/kq dk dkgoj esa tkuk%&*

बृंदारका गन सुभन बरसहिं राउ जनवासहिं चल।

— — —

दुलह् दुलहि निन्हं सहित सुंदरि चलों कोहबरल्याइ कै।।

11- *dqoj dysok%&*

'कोहवरहिं आने कुॅवर कुॅवर सुआसिनिन्ह सुख पाई कैं।

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाई कैं।।

लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहे।

रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सव लहै।।

12- *ojkfr;ksa dks lEeku vkSj Hkkstu ds le; xkyh%&*

पंच कवल करि जेवन लागे।

गारि गान सुन अति अनुरागे।।

13- *Hkkstu ds mijkUr vkpeu vkSj iku nsuk%&*

देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज।

जन वासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज।।

14- *ngst nsuk%&*

'दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह विदेहँ बहोरि।

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि।।

15- *ekrk dk iq=h dks mins'k vkSj feyu%&*

पुनि—पुनि सीय गोद करि लेही।

देइ असीस सिखावनु देहीं।।

होएहु संतत पियहिं पियारी।

चिरू अहिवात असीस हमारी।।

सासु—ससुर गुरू सेवा करेहुं।

पति रूख लखि आयसु अनुसरेहूँ।।

16- *lf[k;ksa dk o/kq ls feyuk%&*

अति सनेह बस सखी सयानी।

नारि धरम सिखवहिं मृदुवानी।।

17- *dad.k [kksyuk%&*

सुदिन सोधि कल—कंकन छोरे।

मंगल मोद विनोद न थोरे।।

mDr jhfr fjoktksa ds vykok dqN iFkk,sa Hkh Fkh ftudk rqylh us ekul esa mYys[k fd;k gS tks iFkk,sa vkt Hkh ipfyr gS &

1- *e`rd ds 'kjhj dks ugykus dh iFkk&*

'नृप तनु वेद विहित अन्हावावा।

2- *e`rd 'kjhj dks lqjf{kr j[kuk&*

'तेल नाव भरि नृप तनु राखा।

दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा।।

3- *lrh iFkk&*

गहि पद भरत मातु सव राखी।

रहीं रानि दरसन अभिलाषी।।

रीति—रिवाजों के अनुसार 'मानस' में भोजन सामंग्री औ बरतनों का उल्लेख हुआ है। ये बरतन हिन्दू काल के है और आज भी हिन्दू परिवार में व्यवहार में लाये जाते है। और दहेज में भी दिये जाते

है। भोज्य सामंगी का उल्लेख मिलता है।

भोजन करत चपल चित इत उत अवसरू पाई।
भाजि चले किल कत मुख दधि ओदन लपटाई।।
दद्यि चिउरा उपहार अपारा, भरि भरि कैवरि चले कहारा।
सूपोदन सुरभी सरपि सुन्दर स्वादु पुनीत।
छन महु सबके परूसिगे चतुर सुआर विनीत।।
विविध भॉति मेवा पकवाना, भोजन साजू न जाई बखाना।।

सारांशतया कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास के विभिन्न संस्कारों के वर्णन में मुख्यतया खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज, शस्त्र–अस्त्र, वस्त्राभूषण, वाहन और काठ की पुरानी सामंग्री है। सामाजिक विचार धारा को पर्याप्त रूप से समझने में उपरोक्त साक्ष्य महत्व के है।

स्पष्ट है कि तुलसीदास प्राचीनता के पोषक और समर्थक थे ! नूतनता का रस उनमें विल्कुल ही नहीं था। संस्कृति की सुरक्षा के लिए कड़े नियम की आवश्यकता हे और तुलसी ने राम को प्रस्तुत कर सम्पूर्ण मानवता के लिए सन्मार्ग उपस्थित किया। तुलसी भारतीय समाज में उन्नायक वने पर्व। सदाचार, चारित्रिक गठन, वंशपरम्परा की मर्यादा, व्यक्तित्व और समाज के पारस्परिक विकास का चित्रण कर कवि सामाजिक आदर्शो को स्थापित कर भारतीय संस्कृति का उन्नायक बना तथा तत्कालीन नारकीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन और संस्कार की अनिवार्यता की ओर संकेत कर समस्त भूमण्डल में शान्ति व्यवस्था की महत् उद्घोषणा की है।

l nHkZ&

1. तुलसीः मानस– बालकाण्ड– दोहा सं. 192, से लगातार–359 तक
2. तुलसीः मानस–अयोध्या काण्ड– दोहा सें.– 169 से लगातार– 328 तक।

***

लोक साहित्य और मनोविज्ञान का अन्तर्सम्बन्ध

डॉ. श्रीमती संगीता सुहाने, हिन्दी विभागस्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

लोक साहित्य जनता का साहित्य है और जनता हमारे उदीयमान देश की महती देवता है। हमारे समस्त विचारों के मूल में जनता हमारे उदीयमान देश की महती देवता है। हमारे समस्त विचारों के मूल में जनता प्रतिष्ठित है विचार मन में उद्भूत होते हैं विचारों का साधन मन है। मन किस प्रकार गति करता है किस प्रकार विचार उठते हैं और किस प्रकार विचार उठते हैं और किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। चेतर-अचेतन क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है सम्पूर्ण लोक साहित्य मनोविज्ञान की आधार भूमि पर अवस्थित है। सम्पूर्ण लोक साहित्य मनोविज्ञान की आधार भूमि पर अवस्थित है। लोक साहित्य की समस्त विधाओं में मानवीय मनोभावनाओं का ही उद्भावन किया जाता है। यही कारण है कि लोक साहित्य और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। लोक साहित्य में प्रेम, करूणा, मैत्री, सहानुभूति, परोपकार आदि सदवृत्तियों उभर कर सामने आती है।

लोक संस्कृति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव-मन के विकास का इतिहास। इसी विकास के साथ जुडी है सोच, समझ और ज्ञान की परिवर्तित यात्रा। इसी विकास के साथ जुड़ी है सोच, समझ और ज्ञान की परिवर्तित यात्रा। लोकमन के कारण ही लोक साहित्य का प्रसार और प्रचार होता है, चाहे किसी भी देश या क्षेत्र विशेष का व्यक्ति क्यों न हो उसे सुळ–दुळ दर्द और आह–कराह आनन्द और मोद-प्रमोद का तो अनुभव तो होता ही है और वह अपने मनोभावों को लोकगीतों, लोककथाओं और लोकोक्तियों के रूप में प्रकट करता है। यह मानव जीवन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव का ही सुफल है। इसी पुनीत भावना के कारण जन–जन के मन में “बसुधैव कुटुम्बक” की भावना जाग्रत होती है। उसी भावना के कारण गीतकार लोकमंगल की भावना से प्रेरित होकर कह उठता है –

> “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:
> सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत्।”

ये लोकमंगल की भावना भी मानवीय मनोभावनाओं का सुफल है।

बुन्देली लोकगीतों में मानवीय मनोभावनाओं के ही स्वर झंकृत हो रहे हैं। मानव मन की उमंग, उत्साह और आनन्दानुभूति लोकगीतों में ही प्रदर्शित होती है। लोकोत्सवों, व्रतों और उपवासों में नर-नारियों का उत्साह और आनन्द देखते ही बनता है। नौरता, मामुलिया, अकती और सावन में बालिकाओं का उत्साह और आनन्द छलकता हुआ दिखाई देता है। कार्तिक, नवरात्रि और वैवाहिक कार्यक्रमों में नारियों के मनोभावों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। संक्रान्ति, दिपावली और फागोत्सव के अवसर पर पुरुषों का मन पूर्ण उन्मुक्त होकर, नाचने, गाने और झूमने लगता है, ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही है।

अत: लोक साहित्य और मनोविज्ञान का घनिष्ट संबंध है। मनोवैज्ञानिक गवैषणाओं से कला का महत्व बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाकर कला मानव जीवन का निर्देशन विवेचन करती है।

१. लोक साहित्य और मनोविज्ञान दोनों का केन्द्र मानव मन की अभिव्यक्तियों से है।
२. लोक साहित्य और मनोविज्ञान वर्तमान सन्दर्भो में एक–दूसरे की परिपूर्ति करते हैं। मानव मन को स्वस्थ, सक्रिय और सुसंस्कृत बनाते हैं। दोनों के अध्ययन से मानव व्याधि रहित होकर स्वस्थ जीवन जीने का प्रयत्न करता है।
३. लोक साहित्य में जीवन का संगीत निहित हैं। मनोविज्ञान जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करता है।
४. लोक साहित्य के माध्यम से समय तथा कला की गतिविधियाँ लोक जीवन के मनोजगत को प्रभावित करती हैं। लोक कवि अपनी प्रतिभा के माध्यम से जन साधारण के मनोभावों का अध्ययन करके उसे साहित्य के रूप में परिणत कर देता है जो मनोविज्ञान के अधिक निकट होता है।
५. लोक साहित्य मुखरित जीवन है। जीवन का आत्मचिंतन है जब कि मनोविज्ञान जीवन का मनोतात्विक विश्लेषण करता है।
६. लोक साहित्य ह्रदय की कोमल वृत्तियों के मधुर उद्गारों के रूप में जीवन का सर्वांगीण चित्रण है, जिसमें काल्पनिक सृष्टि के लिए पर्याप्त स्थान है। मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क के बौद्धिक व्यापारों का सत्य स्वरुप है।

७. लोक साहित्य यथार्थ की अनुभूति एवं आदर्श की कल्पना अपनी प्रतिभा के बल पर करता है मनोविज्ञान स्वरुप को अन्वेषण करता है।
८. लोक साहित्य का उद्देश्य अनेकता में एकता का साक्षात्कार है। मनोविज्ञान एकता के मूल में अनेकता की खोज करता है।
९. लोक साहित्य की अन्तर्धारा अभाव एवं करूणा के प्रबल उद्रेक से प्रबल गति से प्रवाहित होती है। मनोविज्ञान की अन्तर्धारा भौतिक समृद्धि में बुद्धि से प्रवाहित होती है।
१०. लोक साहित्य का अध्ययन अभिव्यक्ति क्षमता की बृद्धि करता है। मनोविज्ञान का अध्ययन वैचारिक क्षमता की वृद्धि करता है।
११. लोक साहित्य राग और द्वेष पर आधारित जीवन के सत्य एवं तथ्य का दिग्दर्शन कराता है। मनोविज्ञान जीवन वृत्ति और मृत्यु वृत्ति पर आधारित जीवन का विवेचन करता है।
१२. लोक साहित्य की विषयवस्तु का आधार जीवन की सरलता जटिलता एवं समस्यायें सुख–दुख होती है। मनोविज्ञान इनका निदान प्रस्तुत करता है।
१३. लोक साहित्य में जीवन के सत्य कलात्मकता के भव्य रूपों में प्रकट होते हैं। मनोविज्ञान में नग्न, कुत्सित एवं घृणित रूप में प्रकट होते हैं।
१४. लोक साहित्य में भाषा सहज रूप से प्रवाहित होती है लोक कवि की मानसिक भाव भूमि से गहन संबंध है। मनोविज्ञान की भाषा पारिभाषिक, शास्त्रीय व कृत्रिम होती है।
१५. लोक साहित्य जीवन के अनन्त आकाश में विविध नक्षत्रों का दृश्यांकन है जिसमें यथार्थ जीवन के विभिन्न स्तम्भों पर मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान टिका हुआ है।
१६. लोक के जीवन को अक्षय बनाने के लिए लोक साहित्य निर्माण की मूल प्रवृत्ति निहित है जिसमें सामाजिकता की भावना उसे विश्व समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करती है, मनोविज्ञान तथ्यपरक दृष्टिकोण रखकर मंगल कार्यो की स्थापना की विवेचना करता है।
१७. लोक साहित्य में संवेदना, विम्ब, सम्वेग आदि के अनुभव का ज्ञान निहित है। मनोविज्ञान मन के विषय के तंत्रबद्ध और सामंजस्य पूर्ण ज्ञान का विवेचन है। लोक साहित्य चेतन-अचेतन मन का प्रस्तुतिकरण हैं। मनोविज्ञान अवचेतन की पवित्र गहराईयों और तहों के गुप्त रहस्यों का आविष्कार है।
१८. लोक साहित्य में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। साहित्य मन और स्वभाव का विस्तार है इसलिए जिन बातों का प्रभाव मानव के स्वभाव और जीवन पर पड़ता है उनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। साहित्य और मनोविज्ञान का संबंध अन्योन्याश्रित है। साहित्य के अनेक रहस्यों की गुत्थियों मनोविज्ञान से ही सुलझ सकती हैं।
१९. मानव के मानसिक जीवन की वैज्ञानिक समझ का ज्ञान मनोविज्ञान से ही संभव है। मनोविज्ञान प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान है जिसके द्वारा दूसरे के व्यवहार को समझा जाता है।
२०. समाज मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आदि के अन्तर्गत व्यक्ति के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है।

लोक साहित्य शाश्वत मानव की प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा है। इसका आदि स्त्रोत मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रस्फुटित हुआ। दर्शन एवं मनोविज्ञान में लोक साहित्य से रागात्मक वृत्तियों को परितृप्त किया है। लोक साहित्य और मनोविज्ञान का अन्तर्सम्बन्ध अक्षुण्य है।

संदर्भ सूची

१. मनोविज्ञान, श्री.जगदानंद पाण्डेय, पृ. ३६७-३६८
२. उत्तर प्रदेश के लोकगीत, श्री. काशीनाथ उपाध्याय, 'भ्रमर' पृ.५०
३. आधुनिक हिन्दी कविता में मनोविज्ञान, डॉ. उर्वशी, पृ.३६
४. आधुनिक मनोविज्ञान और हिन्दी साहित्य, डॉ. गंगाधर झा, पृ.२५

***

e/;çns'k esa i;ZVu {ks= ,oa ikfjfLFkfrdh i;ZVu dk fodkl

Mk- lat; flag pkSgku, स्वामी विवेकानंद विष्वविद्यालय सागर

'kks/k lkjka'k

मध्यप्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है व पर्यटको का स्वर्ग कहलाता है। प्रदेश में अनेक पर्यटन स्थल है, जिनकी विविधता देखने योग्य है यहाँ पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है और प्राचीन गुफाऐं, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक रमणीय स्थल और वन्य जीव अभ्यारण एवं राष्ट्रीय उद्यान अद्भुत और आकर्षक है। जो यहाँ पर पर्यटको को आकर्षित करते है, भारत में 14 जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र है। जिनमें से दो मध्यप्रदेश में, पचमढ़ी व अमरकंठक है। जिससे यहाँ पर पारिस्थितिकी पर्यटन की विकासावस्था देखने को मिलती है। मध्यप्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन से आशय है पर्यावरण पर्यटन से जिसमें पर्यटन का प्रबन्ध तथा प्रकृति का संरक्षण इस तरह से करना होता है कि एक तरफ पर्यटकों को आधारभूत सुविधाऐं मिलती रहे, जिसमें वन क्षेत्रों में स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुऐ विभिन्न वन्य प्राणियों को देखना व वन क्षेत्र में ही आवास व्यवस्था बनाना है। तथा दूसरी तरफ प्रकृति पर संतुलन बना रहे। मध्यप्रदेश में राजधानी से लगे कुछ चुनिंदा पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रो का विकास किया जा रहा है। जो इस प्रकार है कठौतिया, चीकलपानी, पायली, बिलखिरिया, समरधा आदि इनका विकास करने से यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार में भी वृद्धि होगी व आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मध्यप्रदेश में वर्ष 2006 में प्रमुख पर्यटन केन्द्रो पर भारतीय पर्यटकों की संख्या 1504430 थी जो बढ़कर वर्ष 2009 में 2520611 हो गई उसी प्रकार विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2006 में 180307 थी जो बढ़कर वर्ष 2009 में 1912209 हो गई वहीं धार्मिक पर्यटन केन्द्रो पर वर्ष 2006 में भारतीय पर्यटकों की संख्या 9535760 थी जो वर्ष 2009 में 20585595 हो गई उसी प्रकार विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2006 में 9330 थी जो बढ़कर वर्ष 2009 में 9610 हो गई।

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र का विकास व प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों का वर्णन तथा उनकी आधारभूत सुविधाऐं व समस्याओं के अध्ययन के साथ–साथ पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्रों के विकास को सम्मिलित किया गया है। जिससे मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकें तथा रोजगार के अवसर बढ़ सकें, तथा पर्यटकों से होने वाली आय से पर्यटक स्थलों को उनकी सुविधा के अनुसार बना सकें तथा रेल, सड़क, वायु परिवहन, आवास, भाषायी व्यवहार, ट्रेनर गाइड, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा आदि का विस्तार कर सकें व उपयोग में ला सकें ''पधारों म्हारे देश''

lkadsfrd 'kCn & tSoe.My] i;ZVu] ikfjfLFkfrdh e/;çns'k

çLrkouk

वास्तव में पर्यटन एक ऐसी मशीन है जिसमें मानव प्राकृतिक सुन्दरता, संस्कृति एवं सभ्यता का सही ज्ञान प्राप्त करता है जो पारिस्थितिक पर्यावरण व पर्यटन के साथ–साथ उनमें रहने वाले जीव–जन्तु को भी संरक्षण प्रदान करता है अतः हम कह सकते है कि मन व स्वाभाविक इच्छा का भाव ही प[illegible] है। पारिस्थितिकी पर्यटन से आशय है की प्राकृतिक पर्यावरण व उससे सम्बन्धित ग्रामीण वासियों के [illegible] दी गई सुविधाऐं जिससे पर्यावरण का ह्रास न हो तथा विदेशी पर्यटको को प्राकृतिक सौन्दर्य का भरपूर आनन्द मिल सकें। सौर–सपाटा मनुष्य की प्रकृति का अभिन्न अंग रहा है। और वर्तमान समय में यह विश्व के सबसे बड़े उद्योग में से एक है हमारा प्रदेश भी दुनियाभर में इन्ही कुछ कारणों से प्रसिद्ध है और यही कारण है कि प्रदेश में पर्यटकों का आँकड़ा प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2009 में वर्ष के अंत तक राज्य में 1,56,97,518 भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,27,663 कुल 1,5825,181 लोगों ने पर्यटक के रूप में प्रदेश के कई रमणीक स्थलों का दौरा किया।[1]

'kk/k dk mí';

- मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों की संख्या अधिक होते हुऐ भी यहाँ पर पर्यटको का आना तुलनात्मक दृष्टि से कम है तथा म.प्र. पर्यटन की दृष्टि से भारत में तीसरे स्थान पर है।
- राजकीय क्षेत्र की क्या भूमिका है तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी कहाँ तक इसे विकास की और ले जाती है।
- म.प्र. में परिस्थितिक पर्यटन का विकास किन आयामों में हो सकता है।

'kk/k ifjdYiuk

- पर्यटन क्षेत्र से आर्थिक विकास को गति मिल रही है।
- पर्यटन सुविधाओं का विकास ठोस तरह से नहीं हो पा रहा है।
- पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि निजी क्षेत्र के माध्यम से हो सकती है।
- पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन पर किऐ गये कार्य पूर्ण नहीं है।
- कुछ स्थानीय लोगों के व्यवहार में बदलाव की जरूरत है।

'kk/k çfof/k

प्रस्तावित शोधपत्र विशेषकर दित्तीयक समकों पर आधारित है। शासन् द्वारा प्रकाशित सामग्री इंटरनेट, उपलब्ध साहित्य, पत्रिकाऐं तथा पर्यटन केन्द्रों द्वारा संकलित आंकड़ो का उपयुक्त प्रयोग किया तथा सारणीयन वर्गीकरण किया गया तथा फोटोग्राफ के माध्यम से पर्यटन क्षेत्रो को दिखलाया गया है।

i;Vu dk egRo

- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एकता की भावना।
- देश व विदेश में कला–संस्कृति का आदान–प्रदान।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
- आवासीय स्तर पर (होटल, लॉज, पर्यटन केन्द्र, रिसोर्ट) आदि के निर्माण में वृद्धि एवं प्राप्त होने वाली आय का मापन।
- रेल, सड़क, वायु परिवहन के साथ–साथ संचार सेवाओं के माध्यम से आय में वृद्धि।

i;Vdk d fy, lfo/kk,

- पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली में एक अत्याधुनिक पर्यटन भवन बनाने का फैसला लिया है।
- जिसमें पर्यटक गाइड, पुलिस और विशेष बल का गठन शामिल है।
- पर्यटकों को अच्छे होटल व यातायात सुविधाऐं प्रदान की जा रही है।
- विदेशी एयर लाइन्स को भारत आने की अनुमति पर्यटन की दृष्टि से दी जा रही है।
- पर्यटन ट्रेन–

1. टू मेडीवली स्पैलंडर (दिल्ली–ग्वालियर–दतिया–ओरछा–खजुराहो)
2. वाइल्ड लाइफ एडवेंचर (दिल्ली– बाधंवगढ़– जबलपुर)
3. जर्नी टू मालवा (दिल्ली–उज्जैन–औंकारेश्वर–माण्डू–इन्दौर)

- नवीन पर्यटन नीति के अन्तर्गत एक हैरिटेज होटल नामक अभिनव योजना प्रारंभ की है, जिसमें प्रदेश में स्थित प्राचीन महल एवं किलों को होटल के रूप में परिवर्तित करना है।
- पचमढ़ी स्थित शेखर सुमन एवं डी. आई. जी. बगंले को हैरिटेज होटल में परिवर्तित किया जाना।
- छतरपुर में स्थित राजगढ़ पैलेस स्थापित करना हैं।
- पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों को चयनित कर वहाँ के स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाना।[2,4]

bdk VfjTe LFky

पर्यटक अब मध्यप्रदेश में थीम बेस्ड ईकोटूरिज्म का आनंद ले सकेंगे। म.प्र. पारिस्थितिकी पर्यटन बोर्ड राजधानी से लगे कुछ चुनिंदा टूरिज्म स्पॉट्स को थीम बेस्ड डेवलप करने जा रहा है। यहाँ बने होटल्स, कैफेटेरिया, एक्टिविटीज सभी खास थीम पर आधारित होंगे। इसके लिए फिलहाल पाँच स्पॉट्स चुने गए है।

1. *dBkfr;k&* खासतौर पर एडवेंचर्स के लिए पंसदीदा क्षेत्र कठौतिया स्पॉट रूरल ईको टूरिज्म पर आधारित होगा। यहाँ आने वाले पर्यटक ग्रामीणों के ही घर में बने एक अलग कमरे में रूकेंगे। उनके खाने–पीने की व्यवस्था, घुमाने का जिम्मा भी ग्रामीणों का ही होगा, इससे पर्यटको को स्थानीय संस्कृति, परंपरा, कृषि जैसे पहलुओं से सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा इसके लिए IIFM और IHM के द्वारा ग्रामीणों के प्रशिक्षण का एक भाग भी हो चुका है।
2. *phdyikuh&* यहाँ पर होटल्स, रेस्टोंरेंट वॉच टावर, फर्नीचर और तमाम संरचना बाँस की बनी होंगी। यहाँ तक कि छोटे–छोटे पुल जानकारियों के लिए लगे साइन बोर्ड जैसी चीजे भी बाँस से बनाई जांएगी। फर्श बनाने में भी बाँस का ही इस्तेमाल होगा।
3. *ik;yh&* इस थीम के अंतर्गत सभी संरचनाऐं पेड़ों पर बनाई जाएगी, पेड़ो को आधार बनाकर ठहरने के लिए झोपड़ी रहनबसेरा, वॉच टावर बनाए जाएँगे। इसका मकसद केन्द्र को आकर्षक बनाने के साथ–साथ इस तरह डिजाइन करने का है कि यहाँ रहने वाले जंगली जीव–जन्तुओं को संरचना के कारण किसी तरह की परेशानी न हो।
4. *fcyf[kfj;k &* यहाँ पर सारी प्रक्रिया पानी पर आधारित होंगी। मसलन वाटर बेस्ट बर्डिंग, वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग जैसी सुविधाएँ होगी इसके अलावा हाउसबोट की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके जरिए बिलखिरिया की वाटर बॉडीज का सही इस्तेमाल पर्यटकों को आकर्षित करने में किया जायेगा।
5. *lej/kk &* समरधा में पर्यटक जमीन से आठ फुट ऊपर रहने, खाने पीने और इतनी ही ऊँचाई से वन्य प्राणियों को निहारने का अनुभव ले सकेंगे। ये सभी संरचनात्मक स्वरूप लकड़ी पर बनाए जाएँगे और इनके ऊपर टेंटिंग की जाएगी इसके जरिए लोग प्राकृतिक नजारा देखने के साथ–साथ प्राकृतिक चीजों से बनी जगहों में रहने का मजा ले सकेंगे।

थीम बेस्ड डेस्टीनेशन बनाने के लिए हर स्पॉट पर लगभग 50 लाख रूपए खर्च किए जाएँगे। इसके लिए राज्य सरकार के अलावा केन्द्र सरकार से भी फंड लेने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। बोर्ड मैनेजमेंट की मानें तो यदि केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया तो 1 से 2 वर्ष में ही यह कार्य पूर्ण हो जायेगा। बोर्ड चेयरमैन ए.के. भट्टाचार्य के मुताबिक स्थानीय संगठन को पारिस्थितिकी पर्यावरण से फायदा पहुँचाना, पर्यटकों को अलग अनुभव देना और उन्हें सरंक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। उम्मीद है इससे सभी को लाभ प्राप्त होगा।[4,5,7]

lEHkkfor bdk VfjTe dUn&

ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से माण्डू, ग्वालियर, ओरछा, शिवपुरी आदि बेमिसाल हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से पचमढ़ी, अमरकंटक और भेड़ाघाट का जवाब ढूंढ़ना मुश्किल है। इसी तरह धार्मिक महत्व के स्थानों की यहाँ कमी नहीं हैं। उज्जैन और औंकारेश्वर में देश के बारह में से दो ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हैं। अन्य धार्मिक स्थलों में अमरकंटक, महेश्वर, चित्रकूट और भोजपुर बेजोड़ है। कान्हा, बाँधवगढ़, शिवपुरी, पेंच तथा अन्य पाँच राष्ट्रीय उद्यान ऐसे है, जहाँ से सैलानी कभी न भूलने वाल अनुभव लेकर लौटते हैं। पचमढ़ी, भोपाल कृष्ण सागर बांध, ओरछा और अमरकंटक में पारिस्थतिकी पर्यटन की असीम संभावनाएँ है।

vejdVd &

मध्यप्रदेश जीवन दायिनी अनुपम नर्मदा नदी का उद्‌गम स्थल तथा सोन नदी का उद्‌गम स्थल अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थस्थल और नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। यहाँ नर्मदा का उद्‌गम एक कुंड से तथा सोन का पर्वत शिखर से है। अमरकंटक समुद्र सतह से 3500 फिट की ऊंचाई पर है। अमरकंटक को हाल ही में भारत के जैवमण्डल आरक्षित क्षैत्रो में गिना जाने लगा है जिसके कारण यह देश व विदेशी पर्यटक प्रेमियों का प्रसिद्ध पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल बनने जा रहा है।

ipe<h &

पचमढ़ी का नामगरण उन पाँचो गुफाओं के कारण पड़ा है। जो पाण्डव गुफाओं के नाम से जानी जाती है। पचमढ़ी पर्वतीय स्थल मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले की पिपरिया तहसील मुख्यालय से 52

कि.मी. दूर नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पचमढ़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की पहाड़ी पर स्थित है। अनगिनत प्राकृतिक नजारो से सराबोर पचमढ़ी मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण व विशिष्ट पर्यटन स्थल है।यह स्थान हरी भरी वादियों, झरनों व गुफाओं के कारण जाना जाता है जो समुद्र सतह से 1067 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। जिसे पर्यटक प्यार से सतपुड़ा की रानी कहते है। यहाँ गर्मी के मौसम में ज्यादा पर्यटक पचमढ़ी घूमने आते ळें

l r iMk jk"Vh; m|ku&

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पूर्वी भाग में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय वन उद्यान और पचमढ़ी अभयारण्य के श्रेष्ठतम प्राकृतिक क्षेत्र को मिलाकर निर्मित किया गया है। सन् 1981 को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया गया, यह 524 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला है। तथा यहाँ पर विश्व विख्यात सागौन और बाँस के वन और पचमढ़ी के साल के सदाबहार वन फैले हुऐ है। तथा चोरागढ़ और धूपगढ़ पर्वत चोटियाँ स्थित है। और यह वन क्षेत्र दुर्लभ वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल बना हुआ है। जो पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है।

HkMk ?kkV &

जबलपुर से 12 कि.मी. की दूरी पर पर्यटन केन्द्र भेड़ाघाट है। यहाँ नर्मदा भी लगभग 3 कि.मी. की दूरी तक अपनी औसत चौड़ाई से एक तिहाई हो जाती है। और 105 फीट से भी ऊँची संगमरमर की भव्य चट्टानों में से होकर तीव्र गति से बढ़ती है यहाँ हाल ही में पर्यटकों के लिए रोप–वे की सुविधा उपलब्ध हुई है। यहाँ का मनोरम स्थल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है।[6,7]

dkUgk jk"Vh; m|ku&

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मण्डला एवं बालाघाट जिलों की सीमा में स्थित है। साल और बाँसो से भरा कान्हा का जगंल घूमते, लहराते घास के मैदानो और टेढ़ी–मेढ़ी बहने वाली नदियों की निसर्ग भूमि है, 940 वर्ग कि.मी. में फैले इस भू–भाग का सोन्दर्य अद्वितिय रूप से विशाल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों की विभिन्न प्रजातियाँ निवास करती है, बाघ सुरक्षा की विशेष योजना प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा वन का निर्माण 1973 में किया गया था। 1955 में एक विशेष कानून के द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में आया तभी से यहाँ के वन्य प्राणियों ओर वनस्पतियों के सरंक्षण के लिये अनेक उपयोगी कार्यक्रम चलाये गये जिससे कान्हा को एशिया के सर्वाधिक सुन्दर राष्ट्रीय उद्यान की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वन्य प्राणियों में रूचि रखने वाले देशी–विदेशी पर्यटक सहज ही यहाँ खीचे चले आते है, यह पशु–पक्षियों के लिये भी विकसित आश्रय स्थल बन गया है।[3,6]

ck?k lj{k.k egRoi.k rF; %&

देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर यानी बाघ अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद मे जुटा है। 20 वीं सदी में विश्व में 100000 और भारत में 45000 बाघ थे, जिसमें से विश्व में 3600 और देश मे मात्र 1411 बाघ बचे है। वर्तमान में देश में प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत कुल 44 टाइगर रिजर्व है। जिसमें से मध्यप्रदेश में–

rkfydk Øekad &1

राष्ट्रीय उद्यान	वर्ग कि.मी.	भारत में लगातार घट रहा है। बाघो की संख्या का ग्राफ	
बांधवगढ़	448		
कान्हा	1050	वर्ष	बाघसंख्या
पेंच	667	1900	45000
पन्ना	543	1972	1827
सतपुडा	524	2010	1141

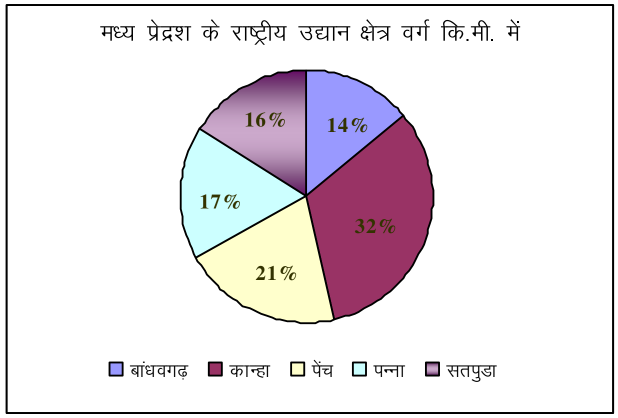

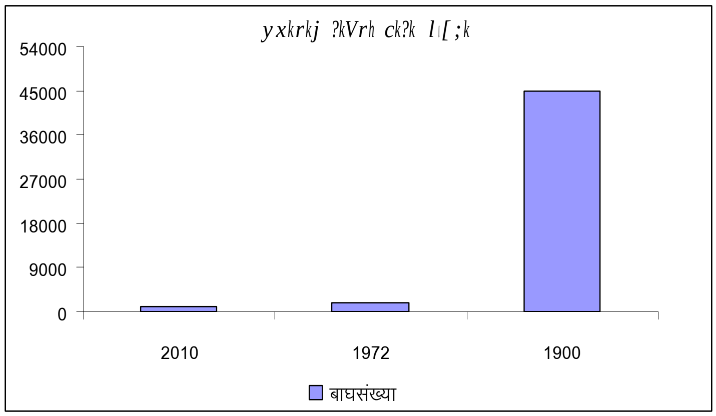

मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है सबसे पहले देश में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। मध्यप्रदेश में 270 बाघ है। जो देश का 19 प्रतिशत और विश्व की 10 प्रतिशत आबादी है। हाल ही में तमाम खामियों के बावजूद बाघ को बचाने के प्रयास किए जा रहे है। नवंबर 2010 में कान्हा और बांधवगढ़ से एक–एक बाघिन और पेंच से एक बाघ को पन्ना में छोड़ा गया, 15 अप्रेल 2010 को बांधवगढ़ की बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया। यानी अब भी उम्मीदे कायम है।

ck?k d| n'eu&

(1) पन्ना से कम हो रहे बाघों के लिए बहेलिया जनजाति जिम्मेदार है। जो मूलतः कटनी में रहने वाली बहेलिया प्रजाति अब पूरे भारत में फैल चुकी है। 2002–08 तक 35 बाघ इन्हीं ने मारे है। महज बाघ ही नहीं बल्कि शेर और पूरे देश के राष्ट्रीय उद्यानो में विलुप्त होती प्रजातियों का शिकार बहेलिया जनजाति ही करती है।[7,10]

(2) पन्ना में दक्षिण, पूर्वी और उत्तरी सीमा की तरफ से खतरा है। पन्ना रिजर्व को दो भागों में बांटने वाली केन नदी बनारस में गंगा से मिलती है। केन शिकारियों के रिजर्व में घुसने का बेहतरीन रास्ता मुहैया कराती है।

(3) दवाओं के लिए बाघ के अंगो का अवैध रूप से व्यापार हो रहा है इसके अलावा भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और जंगलो में चल रहे घटनाक्रम बाघों की संख्या कम कर रहे है।

xkih Ñ".k lkxj ck/k– गुना जिले की राघोगढ़ तहसील के ग्राम कनकटा के समीप पार्वती नदी की सहायक नदी चौपना पर निर्मित गोपी कृष्ण सागर बाँध वर्ष 1995 में बनाया गया था। बाँध का जलग्रहण क्षेत्र 294 वर्ग कि.मी. है। जो वर्ष भर पानी से पूरा भरा रहता है। यहाँ आने वाले प्रवासी और अप्रवासी पक्षियो को चिन्हित कर पर्यटकों के लिऐ जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तथा बाँध स्थल को बर्ड वाचिंग की दृष्टि से भी विकसित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए

वोटिंग व्यवस्था, केफेटेरिया, बाँध किनारे आकर्षक फुटपाथ, बाँध का विहंगम दृश्य दिखाने वाला वॉच टॉवर, आकर्षक गार्डन आदि लगाये गये है यह भी उभरता हुआ पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्र है।[7]

i;Vdk dh l[;k e of}

पर्यटकों का रूझान पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ाने के लिए पर्यटन विकास निगम द्वारा कई सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है। पर्यटन के क्षेत्र में आये उछाल को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछले साल टी.वी चैनलों पर रोचक विज्ञापन भी दिखाये गये। इससे सैलानियों की संख्या में 30 प्रतिशत इजाफा हुआ है। पिछले तीन वर्षो की तुलना में यह इजाफा लगभग 125 प्रतिशत हो गया है। सैलानियों की संख्या में बढोत्तरी कर महाराष्ट्र को पीछे कर मध्यप्रदेश देश में पाँचवे स्थान पर आ गया है।

rkfydk Ø&2

ie[k o lEHkkfor bdk i;Vu dUnk ij i;Vdk dh l[;k

i;Vu LFky	o"k 2006			o"k 2009		
	Hkkjrh;	fon'kh	l[;k	Hkkjrh;	fon'kh	l[;k
बाँधवगढ़	38614	6812	45426	75018	24870	99888
भीमबैठका	24632	390	25022	36744	1489	38233
कान्हा	80223	6411	86634	111181	17803	128984
खजुराहो	164406	73843	238249	228503	68839	297342
माण्डू	308933	6488	315421	621863	6882	628745
ओरछा	75832	46881	122713	99014	38580	137594
पचमढ़ी	480068	97	480165	777227	173	777400
पन्ना	33346	7679	41027	50184	9396	59580
पेंच	24174	572	24746	54379	5023	59402
साँची	78021	18929	96950	167460	5407	172867
अमरकंटक	1260000	24	1260024	1990000	25	1990025
भेड़ाघाट	548853	3044	551897	460793	1172	451965
कुल योग	3117102	171170	3288274	4672366	179659	4842025

स्त्रोत– वार्षिक प्रतिवेदन रिर्पोट राज्य पर्यटन विकास भोपाल

तालिका क्रमांक –2 के अनुसार भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक वर्ष 2006 में अमरकंटक पर्यटन केन्द्र पर 1260,000 रही जबकी सबसे कम पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 24174 रही उसी प्रकार वर्ष 2006 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक खजुराहो में 73843 रही व सबसे कम अमरकंठक में 24 रही। तथा वर्ष 2009 में भारतीय पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या अमरकंठक में बढ़कर 1990,000 हो गई व सबसे कम भीमबैठका में 36744 रही ओर विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक खजुराहों में बढ़कर 68839 हो गई तथा सबसे कम अमरकंठक में 25 रही इसी प्रकार हम कह सकते है कि विदेशी पर्यटकों का रूझान ऐतिहासिक स्थलों की ओर ज्यादा है। अतः पारिस्थितिकी केन्द्रों पर विदेशी पर्यटकों को सर्वसुविधा उपलब्ध करवाकर उनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है।[7]

ipo"kh; ;kstuk 0;;&i;ZVu fodkl ij

यहाँ पर संक्षिप्त रूप से नोंवी, दसवीं, ओर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिऐ कितना बजट का प्रावधान रखा गया तथा कितना खर्च हुआ है।

rkfydk Øekad &3

ukoha ipo"kh; ;kstuk ¼1997&2002½ esa i;ZVu fodkl ij 0;; yk[k :i;s esa

o"kZ	ctV izko/kku	okLrfod 0;;	dqy okLrfod 0;; dk ctV izko/kku ls %
1997-1998	73.55	56.68	77.06
1998-1999	69.30	51.41	74.18
1999-2000	72.45	62.98	86.93
2000-2001	71.00	59.56	83.89
2001-2002	1999	1192.01	59.63
कुल योग	2285.30	1422.64	62.25

स्त्रोत– नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) मध्यप्रदेश।

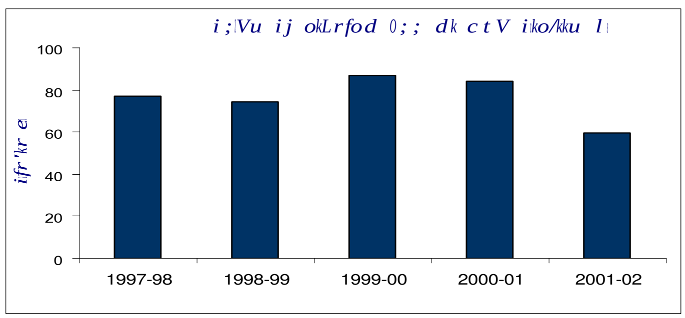

तालिका क्र. –3 से स्पष्ट है की नोंवी पंचवर्षीय योजना में 2285.30 लाख रूपये का बजट का प्रावधान रखा गया जिसमें से 1422.64 लाख रूपये खर्च हुऐ जो कुल वास्तविक व्यय का बजट प्रावधान से 62.25 प्रतिशत रहा है। ओर दंसवी पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में प्रदेश के पर्यटन विकास के लिऐ 3370.25 लाख रू. का प्रावधान किया गया तथा *X;kjgoha ipo"kh; ;kstuk ¼2007&2012½* के लिऐ 14760 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

leL;k,¡ &

1. अपर्याप्त एवं जीर्ण–शीर्ण सड़क मार्ग।
2. पूर्णतः यातायात के साधन उपलब्ध नहीं।
3. पर्यटन मौसम में प्रमुख आवास स्थलों की समस्या।
4. अच्छे व मनपसंद भोजन की समस्या तथा गुणवत्ता में कमी।
5. म.प्र. में विद्युत कटौती की समस्या।
6. अप्रशिक्षित व अकुशल गाइड तथा अंग्रेजी माध्यम वालो की कमी।
7. कर्मचारियों एवं स्थानीय अशिक्षित ग्रामीण व्यक्तियों का अभद्र व्यवहार।
8. पूछताछ व सूचना केन्द्र पर्याप्त मात्रा में नहीं है।

9. पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास में कैफेटेरिया एवं केरेवान सुविधा के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता।
10. पारिस्थितिकी पर्यटन में पर्यटकों के लिऐ खुले में विचरण करने के लिऐ सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता होनी चाहिऐ जो अभी नहीं है।

l|>ko&

1. लोक संस्कृति के प्रदर्शन, एवं उनके सरंक्षण को महत्व दिया जाऐ।
2. सरकार के द्वारा जो भी पर्यटन विकास के लिए नियम/कार्यक्रम बनाये जाये उन विकास कार्यक्रमों के प्रभाव व मूल्यांकन की एक सतत् प्रक्रिया हो।
3. उचित प्रचार–प्रसार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाऐ।
4. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिऐ पैकेज तथा गाइड ट्यूर को बढ़ावा दिया जाना चाहिऐ।
5. प्रत्येक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर महोत्सव आयोजन करना चाहिऐ।
6. उज्जैन, ग्वालियर आदि स्थानों की हाथ से बनी वस्तुओं को विक्रय पर्यटन से जोड़ना लाभदायक होगा।
7. वाहन व सड़को की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, पर्यटक स्थलों पर सभी गाडियों का स्टॉपेज शुरू किया जाना चाहिए।
8. सुरक्षा की दृष्टि व साफ–सफाई की व्यवस्था पर्यटन विकास निगम द्वारा की जानी चाहिऐं।
9. शासन द्वारा चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना चाहिऐ।
10. प्रशिक्षित युवकों की नियुक्ति गाइड के रूप में करनी चाहिऐ।
11. स्थानीय लोगों व ग्रामीणों को पर्यटन से जोड़कर उन्हे जानकारी व प्रशिक्षण देना चाहिऐ।

fu"d"k

मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा भी मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर पर्यटन केन्द्र विकसित करने जा रहा है। मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया। ईको पर्यटन विकास बोर्ड गठित करने वाला मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है। इस बोर्ड का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जागरूकता विकास, मूलभूत अधोसंरचना विकास, स्थानीय रोजगार के अवसर मुहैया कराना है बोर्ड द्वारा विभिन्न ईको पर्यटन योजनाएं क्रियान्वित की गयी है। जिनमें प्रकृति की व्याख्या, नौकायन, ईको पार्क, क्षमता विकास, प्रचार–प्रसार और प्रदेश की वन विहीन पहाड़ियों को हरा–भरा करने की योजना निरूपण एवं अनुश्रवण प्रमुख है।

मध्यप्रदेश में प्रमुख पर्यटन केन्द्रों एवं धार्मिक पर्यटन, आकर्षण के स्थलों पर पर्यटक सुविधाऐं एवं अधोसंरचना विकसित की जा चुकी है। विकास के लिए हमने भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली आर्थिक सहायता के अन्तर्गत विगत वर्षो की तुलना में लगभग दोगुनी राशि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं द्वारा पर्यटकों को बेहतर गुणवत्ता एवं व्यवहार के साथ सुविधाऐं उपलब्ध करायी जा सकें इसके लिये भोपाल में *gkfLiVfyVh Vfux bULVhV;V* की स्थापना की गयी है। जिसके माध्यम से ढाबों और होटलों में कार्यरत कर्मचारियों गाइड्स, कुली, टैक्सी, रिक्सा चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटकों को न्यूनतम दरों पर तथा पूर्णतः प्रदेश के सामाजिक परिवेश में रहने के अवसर उपलब्ध हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुऐ प्रदेश में **cM ,.M cd QkLV** नीति बनाई गयी है। जिसके अन्तर्गत ग्रह स्वामी अपने आवासों में पर्यटकों को पेइंग गेस्ट के रूप में ठहरा सकेगें। इस योजना को प्रदेश में लागू किये जाने से पर्यटन स्थलों के पास निवास कर रहे गृह स्वामियों को अपने सीमित संसाधनो के अतिरिक्त इस स्त्रोत से भी आय अर्जित करने के अवसर उपलब्ध हो सकेगें। वनगश्ती में पर्यटकों को भी शामिल करने के लिये मध्यप्रदेश में **iVkfyx n Vkbxj y.M** व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत पर्यटक अब वनगश्ती में गार्ड के साथ पैदल जगंल में घूम सकेंगे। यह व्यवस्था आगामी पर्यटन सत्र 16 अक्टूबर 2010 से लागू हो चुकी है। प्रस्तुत शोध पत्र में पास्थितिकी व धार्मिक पर्यटन केन्द्रों पर

पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना होगा इनके आने से प्रदेश के वो स्थल जो पर्यटन की दृष्टि से तराशे नहीं जा सके है। वहाँ भी टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता ताकि पर्यटन और क्षेत्र से राज्य को आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त होता रहे। अंत में यही कहेंगे की *^^vfrfFk nsoks Hko%**

<u>*lUnHkZ lwph*</u>

1. **Bhatia, A.K.** (1978) "Tourism in India- History and Development" *Sterling Publishers* Ltd, New delhi
2. **Negi, J.M.S.** (1982) "Tourism and Hoteling- A world wide Industry" *Gitanjali Publishing House,* New Delhi
3. **Singh. T.V** (1982) "Tourism Wild life parks Conservation" *Metropolitan Book company* Ltd, New Delhi.
4. www. mptourism.com
5. www.mpinfo.orgempsan
6. *feJk] fujt dqekj* (2009) ''मध्यप्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास में राजकीय क्षेत्र की भूमिका'' *अप्रकाशित शोधप्रबन्ध* डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
7. *dqUnk] vkseizdk'k* (1980) ''मध्यप्रदेश में पर्यटन'' *श्री कमल प्रकाशन,* भोपाल
8. ''मध्यप्रदेश संदेश'' (2010) वर्ष 106, अंक 9
9. खजुराहो गाइड बुक, म.प्र टूरिज्म
10. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल
11. दैनिक भास्कर, 21 नवम्बर 2010, पेज क्र. 12

***

fo|r mRiknu ,o i;kZoj.kh; iHkko

Dr. Sunita Dixit : Prof., Department of Commerce Swami Vivekanand University, Sagar (M.P.)

पर्यावरण से आशय हमारे आसपास के वातावरण से है। वातावरण अर्थात जल,वायु, एवं अन्य प्राकृतिक संपदा । जल एवं वायु तत्व पर्यावरण के दो प्रमुख अंग है। प्राणी जीवन इसके बिना सर्वधा असंभव है। इन्हे मानव जीवन रक्षक तत्व की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय दर्शन में मानव जीवन के निमार्ण में जल वायु क्षितिज अग्नि तथा आकाश आदि पांच तत्व को योग एवं महत्व का वर्णन है। मानव अपने स्वार्थ लाभों के लिए सर्वदा हितकारी पर्यावरण का शोषण करता रहा है। तथा उसकी स्वच्छता को नष्ट कर पर्यावरणीय संतुलन को मूलतः विगाड़ रहा है। इस इजित वायुमण्डल का दुषप्रभाव संपूर्ण समाज पर जीवन एवं स्वास्थ के लिए अनिष्कर अनेकानेक बीमारियों के रूप में परिलक्षित होता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं स्वारूप रक्षक उपाय जन– स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। क्योंकि इनके बिना प्रत्येक कार्यक्रम या तो असफल हो जाता है। या उनकी दक्षता में कमी आ जाती है।

वैसे तो मानव एक स्वच्छता पसंद प्राणी की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जैसे–जैसे मनुष्य सभ्य होता गया विशेषकार पिछले लगभग सवा सौ वर्षो में औधोगिक विकास के कारण जितनी गंदगी फैली है उनती गंदगी उससे पहले के पचास हजार वर्षो में सभी प्राणियों ने मिलकर भी नही फैलायी थी। अक्सर यह दावा किया जाता है कि हमारी सभ्यता हमारे पूर्वजो की सभ्यता से ज्यादा विकसित है क्योकि हमें उनसे अधिक भौतिक सुविधायें उपलब्ध है। लेकिन हम यह भूल जाते है क्योकि हमें इन सुविधाओं की कितनी कीमत चुकानी पड़ रही हैं। सच बात तो यह है कि इन सुविधाओं की प्राप्ति के प्रतिफल में हमने केवल आपने आप को बाल्कि समूचे जैव जगत को खतरे में डाल दिया है।

भारत में विशेषकर पिछलें दो दशकों में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है जिसके कारण औद्याोगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों में तीव्रता आई है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा है। यही कारण है कि हमारे समक्ष औधोगिकरण के साथ–साथ प्रदूषण का प्रश्न गंभीर होता जा रहा है। वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन अत्याधिक बढ गया है। दूसरे शब्दों में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण में प्रभावित होने वाले तत्व भूमि,जल,वन,बॉध, वातावरण शहरी रहनसहन लोक स्वास्थ, उर्जा, जीवन संपदा, राज–समाज एवं राजनीति आदि।

fo|r mRiknu ,o i;kZoj.k iznw"k.k&

विद्युत उत्पादन किसी भी देश के औधोगिक विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परंतु इस औद्याोगिक विकास के दौरान पर्यावरण के पक्ष को सदैव अनदेखा किया जाता है। विद्युत का उत्पादन सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम जल से तथा द्वितीय कोयले से विद्युत उत्तपादन का तृतीय प्रकार परमाणु ऊर्जा भी है परंतु भारत के संदर्भ में यह अधिक प्रचलित नही है। जल से विद्युत उत्पादन हेतु नदियों पर बांधो का निर्माण किया जाता है। ताप विद्युत का उत्पादन कोयले से किया जाता है।अर्थात कोयले को जलाकर उसके ताप से विद्युत प्राप्त की जाती है। विद्युत उत्पादन किसी भी प्रकार से हो इससे पर्यावरण विपरीत रूप से प्रभावित होते है। जलविद्युत हेतु बांध बनाने के लिए प्रकृति का स्वरूप परिवर्तित किया जाता है। जबकि ताप विद्युत के उत्पादन से वायुमण्डल दूषित होता हैं।

राज्य में विद्युत पूर्ति हेतु कोयला एवं पानी दोंनो ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपल्बध है राज्य की विद्युत आवश्यकता की अधिकांश पूर्ति (लगभग 90 प्रतिशत) ताप विद्युत कोयले से की जाती है। शेष पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। यद्यपि मध्यप्रदेश में स्वतंत्र रूप से ऐसी कोई भी परियोजना नही है । जो मुख्य रूप से जलविद्युत उत्पादन के लिये ही तैयार कि गई हैं परंतु सिचांई उदेद्श्य से कई परियोजनायें बनी है। उनसे पर्यावरण प्रभावित हुआ है।

राज्य में कोयले के पर्याप्त भंडार होने के कारण यहां ताप बिजली घरों की संख्या अधिक है। राज्य में अच्छे कोयले के विशाल भंडारों का पता लगने के बाद पिछले दशकों में एनर्जी पार्क की संकल्पना सामने आई।

इसके अंतर्गत कोयले के केन्द्रीय भण्डार के आसपास ही उच्च क्षमता वाले विद्युत गृहो की श्रखलित स्थापना की बात कही गई है। पंरतु लगातार कई क्षेत्रों में अनियोजित शहरीकरण बढ़ रहा है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योकि भारी उद्योग स्थापित हो रहे है। लकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नही दिया कि इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

i ;koj.k in"k.k fu;=.k d mik;&

जलविद्युत की उत्पादन प्रकिया पर्यावरण को अत्याधिक प्रभावित करती है। यही कारण है कि बड़े बांधो पर आधारित जलविद्युत योजना के विकल्प के रूप में छोटेपन बिजली संयत्रों की सिफारिश की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे स्थान है। जहां छोटी–छोटी इकाईयों को स्थापित कर पर्याप्त मात्रा में बिजली उतपन्न कर दूर ग्रामीण क्षेत्रो को दी जा सकती है।

कुछ स्थितियों में छोटे संयत्रों को ग्रामीण स्वयं संयंत्र स्थापित कर सकते है। चला सकतें है और उनकी देखभाल भी कर सकते है। उसे राष्ट्रीय गिड का भी हिस्सा बनाना जरूरी नही है। 0.5 मेगाबाट वाले एक बिजलीघर में उत्पादित विद्युत से 5000 घरों में 100 वाट के बल्व जल सकते है।अर्थात एक गांव के लिये 0.1 मेगावाट क्षमता का एक संयंत्र ही पर्याप्त होगा। एक अनुमान के अनुसार मैदानी इलाकों में नहर सिचांई में जहां–जहां थोड़ी से ऊचाई से पानी गिरता है। वहां यदि लद्यु संयत्र लगाये जाये तो 3000 मेगावाट और बिजली पैदा की जा सकती है।

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के अनुसार छोटेपन बिजलीघरों की विद्युत बड़े विद्युतघरों से प्रति किलोवाट मंहगी पड़ती है। बड़े संयंत्र में प्रति किलोवाट 3000 से 7000 रूपये लागत आती है। जबकि लद्यु संयंत्र की लागत 8000 से 15000 रूपये तक आती है। संयंत्र जितना छोटा होगा उतनी अधिक प्रारंभिक पूंजी कम लगेगी और समय भी उतना ही कम लगेगा। मुख्य बात तो यह है कि उसका संचालन ग्रामीण स्वयं कर सकते है।

ताप विद्युत उत्पादन के दौरान कोयले में उपस्थित गंधक की मात्रा को विशेष प्रकिया के माध्यम से कम किया जा सकता है। पंरतु यह प्रकिया खर्चीली है। इसलिये अपनायी नही जाती। चिमनी की ऊचाई बढ़ाकर सल्फर डाइआक्साइड की घनता कम की जा सकती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने चिमनी की ऊंचाई बढ़ाकर 220 मीटर निर्धारित की है।

कोयले के जलने से उतपन्न राख एक गंभीर समस्या है। इस राख में आर्सनिक,कैल्शियम,थोरियम,पारा,सीसा,मेग्नीज,बेनोडियम,फलोरीन बेरिलियम जैसे अनेक विषैले तत्व होते है। इन्हे नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की छलनी लगाई जाती है। इसे इलेक्ट्रो–प्रेसिपिरेटर कहते है।यह यंत्र लगभग 100 प्रतिशत सफलता से काम करते है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सभी संयंत्रो में से यंत्र लगे है, क्योकि यह फिल्टर का काम करता है, कोयले में राख का अंश ज्यादा भारी होता है। फिल्टर से भारी कण हट जाते है। और प्रेसिपिटेटर बारीक कणों को समाप्त कर देता है।ये बारीक कण ज्यादा खतरनाक होते है। तथा श्वसनतंत्र संबंधी बीमारियों को जन्म देते है।

राष्ट्रीय जल प्रबंध नीति 1987 के अनुसार तो जल संसाधनों से नीने के पानी की सबसे अधिक पूर्ति होती है पंरतु यदि इससे जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो देश के औद्योगिक विकास को गति मिलती है। विद्युत उत्पादन चाहे वह ताप विद्युत, परमाणु, विद्युत अथवा जलविद्युत से हो न केवल औद्योगिकरण के लिए बल्कि कृषि विकास के लिये भी आवश्यक है लेकिन तो 1917 मे विद्युत उत्पादन को साम्यवाद के बराबर उसके महत्व को प्रतिपादित कर दिया था। वर्तमान में विद्युत की आवश्यकता अधिकतम है। और इसकी सस्ती पूर्ति जलविद्युत से ही हो सकती है इसका हर साल नवीनीकरण किया जा सकता है जबकि कोयला एवं परमाणु के साथ ऐसा नही है।

LoPN ok;| fo/kku Lo : i fu"d"k&

भारत सरकार द्वारा प्रदूषण,निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 प्रवर्तित किया गया है

अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय मंडल के रूप में तथा राज्यों और संघ राज्य क्षे़त्रो के स्तर पर राज्य मंडलों के रूप में तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर राज्य मंडलों के रूप में स्वच्छ वायु प्रबंध संख्याओं के निर्माण का उपलब्ध ह। अधिनियम के अधीन केन्द्रीय मंडल तथा राज्य मंडलो को अनेक कार्यो तथा शक्तियों का समानुदेशन किया गया। केन्द्रीय मंडल का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वायु की गुणवत्ता में सुधार करें तथ देश में वायुप्रदुषण को रोक नियंत्रित करें । समाप्त करें । रसज्य शासन को वायु प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने और इन क्षेत्रो में विशिष्ट ईधन विशिष्ट खनिज तथा विशिष्ट दाहक सामग्री के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह अधिनियम पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण तथ सुधार करने तथा पर्यावरणात्मक प्रदूषण को रोकने नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिये केन्द्र शासन को शक्ति प्रदान करता हैं अतः राष्ट्र और नागरिकों का यह कत्तर्वय है कि पर्यावरण की रक्षा करें तथा संरक्षण व संवर्धन पर अधिक से अधिक कार्य किया जावे।

l nHk l ph&

1. Choudhari M.R. Power Resources of India, Oxford and IBH Publishing CO. New Delhi.
2. Kashkari C. Energy Resources Demand and Conservation Tata MC Graw Hill Publishing Co. Ltd New Delhi.
3. Seth G.K. Know your Environment National Publishing House, New Delhi.
4. Hafele Wolfet, Energy in finite world Ballinger Publishing Co. Cambridge.
5. डॉ. एस.सी. जैन, पर्यावरण अध्ययन, कैलाष पव्लिकेषन आगरा।
6. Prof., Agrawal, Environment Management, SBH Delhi.

***

ou ,o ou ic/ku

Dr.Sunita Jain: Prof. Economics Department, S.V.N. University Sagar (M.P.)

सुबह होते ही अपने चारों ओर पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है। वे अपने नीड़ों से जागकर पेड़ों की शाखाओं और फुनगियों पर चहचहाने लगते हैं। अपने पंख फैला कर आसमान में उड़ान भरने लगते हैं। बाग–बगीचों और फूलों की क्यारियों में रंग–बिरंगी तितलियां भी उड़ने लगती हैं। साथ ही मधुमक्खियां, कीट–पतंगे जानवर मछलियॉ आदि के जीवन में हलचल शुरू होने लगती है।

इस धरती पर जड़ और चेतन का अपना संसार है। हर चीज एक–दूसरे से जुड़ी है, उनका एक संतुलन बना हुआ है, जहाँ यह संतुलन मौजूद है, वहां प्रकृति का हर वरदान मिला हुआ है जैसे– शुद्ध हवा, धूप, पानी और शान्ति आदि। जहाँ यह संतुलन शेष नहीं रहा, वहाँ प्रकृति का श्राप मिल रहा है जैसे – जहरीला वातावरण, कर्कष कोलाहल, अनावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ आदि। हमारे पेड़–पौधे, हमारी वनस्पतियाँ हमारे जीवन की धड़कन के आधार हैं। ये पेड़–पौधे हमें हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधियाँ, रेशे, फल और फूल ही नहीं वरन् जिन्दा रहने के लिये सांस भी देते हैं।

इतिहास गवाह है कि वन विनाश होने पर सभ्यताओं का भी विनाश हो गया। अतीत में सिन्धु घाटी सभ्यता विलुप्त हुई। पुरातत्व शोध से पता चलता है कि इस सभ्यता के अवशेष रेत की 7 परतों से ढके हैं अर्थात यहाँ 7 बार सभ्यता स्थापित हुई और खत्म हुई। परसिवल स्पीयर ने अपनी पुस्तक ''द वण्डर दैट वाज इण्डिया'' में इस तथ्य को उजागर करते हुये लिखा है, कि संभवतः तत्कालीन मनुष्य की प्रकृति को न समझ पाना ही इस विनाशलीला का कारण था। पेड़–पौधे हमारे कल–कारखानों द्वारा रात–दिन उगले हुये जहरीले धुएं को पीकर हमें जीवित रहने के लिये प्राणवायु 'आक्सीजन' देते हैं। पेड़–पौधे न हों तो हम जो धुआं पैदा कर रहे हैं, उसी में हमारा दम घुट जाए, परन्तु पेड़ों के इस उपकार को कितने लोग याद रखते हैं? बेरहमी से वनों का सफाया करते और पेड़ों को धराशायी करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं अपने हाथों से सांसों के कारखानों को उजाड़ कर अपने अस्तित्व पर संकट उत्पन्न कर रहे हैं।

आज भौतिक प्रगति की दौड़ में हम पेड़ों का महत्व भूल रहे हैं। हमारे लिये पेड़ जीवन का आधार नहीं बल्कि बिक्री का समान या महज ईंधन बन गया है। जहाँ भी मनुष्य ने यह भूल की है, वहां प्राकृतिक विपदाएं टूट रही हैं। अनुमान है कि एक हेक्टेयर क्षेत्र में उगे हुये वयस्क वृक्ष हर साल 3.7 टन प्रदूषित वायु को सोखकर 2 टन प्राण वायु 'ऑक्सीजन' हमें देते हैं। इस प्रकार पेड़–पौधे हमारा हर तरह से उपकार कर रहे हैं। हमें पेड़ो के उपकार को भूलना नहीं चाहिए और अपने घरों के आसपास, खेतों, बाग–बगीचों व खाली भूमि पर सुन्दर उपयोगी वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, आम, जामुन, अमलतास, गुलमोहर, महुआ, बेल, इमली, शीषम, सिरम, अर्जुन, कंजी, बबूल, सु–बबूल, विलायती बबूल, यूकेलिप्टस आदि पेड़–पौधो को न केवल रोपित करें बल्कि रोपित पौधों की देखभाल शिशु की तरह करें। प्रारम्भ में पौधों को हमारा सहारा चाहिये, बड़े होकर वे हमारा सहारा बनते हैं। वनों से प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ निरन्तर प्राप्त करने के लिये आवश्यक है, कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 व राज्य वन नीति 1998 के अनुरूप देश व प्रदेश का एक तिहाई भू–भाग वनाच्छदित हो। उत्तर प्रदेश में वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 5.86 प्रतिशत तथा गैर वन भूमि में वृक्षारण भौगोलिक क्षेत्र का 3.4 प्रतिशत है। इस प्रकार हम देखते है कि 33 प्रतिशत भू–भाग में वनावरण के सापेक्ष मात्र 9.26 प्रतिशत भू–भाग में ही वनावरण व वृक्षावरण है।

इन सुन्दर परोपकारी पेड़–पौधों के साथ ही प्यारे और निराले पशु–पक्षियों की एक अपनी दुनिया है। हर सुबह हम पक्षियों के कलरव से जागते हैं और हर शाम इनके मधुर कुंजन के साथ ढलती है। ऋतुराज बसंत आगमन कोयल की कुहू–कुहू के साथ होता है तो पावस ऋतु की अगवानी मोर अपनी ' मियांव–मियांव ' के साथ करते हैं । नन्ही गोरैया से लेकर कबूतर , मैना, बुलबुल, ताते,

तीतर, हुदहुद, कठफोड़वा, सारस और नीलकंठ आदि तमाम पक्षी हमारी दुनिया को रंगीन बनाते हैं। ये पक्षी हमें अनेक लाभ भी पहुँचाते हैं। इन रंग–बिरंगे पक्षियों के साथ ही हमारे वन–प्रांतरों में सुंदर वन्य प्राणी कुलाचें भरते हैं । हमने अनेक निरीह वन्य पशुओं का बेरहमी से शिकार किया , लेकिन आज हमें इन मूक पशुओं की संख्या बढ़ाने का संकल्प करके अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिये। हमारे घरों के इर्द–गिर्द उछलती–कूदती नन्हीं गिलहरी हो या दुलर्भ कृष्ण मृग अथवा सघन वन के निवासी शेर, भालू, हाथी ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है । जीने का जितना हक हमें है , उतना ही इन सब प्राणियों को भी है। जब हमारे आसपास पेड़–पौधे होंगे और पशु–पक्षियों की चहल–पहल होगी, तभी हमारी दुनियॉ में जीवन की असली हलचल होगी । हमारा पर्यावरण पूर्ण होगा और हम मॉ प्रकृति के सानिध्य में रहने का सुख पा सकेंगे ।

ouk dk egRo ,o ou ic/ku %

मानव का अस्तित्व वनस्पति और जीव जन्तु के अस्तित्व पर निर्भर है । मनुष्य तथा पशुओं की बढ़ती आबादी तथा विकास योजनाओं से औसत *13 yk[k gDV;j ou {k= ifro"k* समाप्त हो रहे हैं । राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश का लगभग एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र वन से आच्छादित होना चाहिए । परन्तु मात्र 11 प्रतिशत वन से आच्छादित है । कटते जंगल, घटते वन क्षेत्र और जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि एवं जल पर दबाव, बांधों के निर्माण, खनन कार्य एवं औद्योगीकरण से प्राकृतिक साधनों की कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है ।

इन वृक्षों की प्रदूषण नियंत्रण में अहम् भूमिका होती है । वृक्ष हमारे वातावरण की स्थिति को नापने या आकलन करने वाले मापक तंत्र हैं । एक हेक्टेयर क्षेत्र में लगे वृक्ष लगभग 30 टन ऑक्सीजन देते हैं, जिससे लगभग 90 व्यक्तियों की एक वर्ष की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी होती है । वायुमंडल में फैली हुई धूल को छानने में वृक्ष छन्नी का कार्य करते हैं । ये मोटर वाहनों से निकले हुए शीशे (Lead) की 30 प्रतिशत मात्रा अवशोषित कर लेते हैं । सड़कों पर 500 मीटर लंबी वृक्षों की पट्टियाँ लगा दी जायें, तो लगभग 70 प्रतिशत मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की और 67 प्रतिशत मात्रा नाइट्रिक एसिड की शोषित कर ली जाती है ।

ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में वृक्ष सक्षम होते हैं । वृक्ष 30 मीटर के अंतर में 10 डेसीवल ध्वनि कम कर देते हैं । एक 50 मीटर पार्क में वृक्षों की कतारें 10–30 डेसीवल के शोर को कम कर देती हैं पर्णपाती 24–26 प्रतिशत तक ध्वनि को कम कर देते हैं । वृक्ष अपने वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में नमी फैलाते हैं, जिससे उसकी शुष्कता कम होती है । वृक्ष लगे स्थानों पर 15–20 प्रतिशत आर्द्रता अधिक होती है ।

अतः वृक्षों के प्रबंधन में *lkekftd okfudh* की अहम् भूमिका है । यह एक मिशन है, जो जन समुदाय विशेषतया जो ग्रामीण तथा गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय संरक्षण प्रदान करता है । इनमें सभी को एक भागीदारी की तरह वृक्षों को लगाने से लेकर उपयोग करने तक कार्य करना होता है। *ou yxkuk ,o ic/ku djuk 'kkldh; dk; g]* ऐसी मिथ्या धारणाओं को जन मान्यता से दूर करना ही *lkekftd okfudh* का मूल उद्देश्य है ।

lkekftd okfudh के कुछ प्रमुख स्वरूप निम्न हैं :–

1. सामुदायिक वानिकी, 2. प्रक्षेत्र वानिकी, 3. शहरी वानिकी, 4. ग्रामीण वानिकी, 5. पर्यावरण वानिकी, 6. निस्तार वानिकी आदि ।

lkekftd okfudh d vrxr fd; tku oky dk; %

1. सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क, रेल, तथा नहर मार्ग के दोनों किनारों की भूमि, तालाबों की मेड़, नदियों के बीहड़ों, पथरीली ढ़लावदार कृषि भूमि, रेतीले क्षेत्र, लवणीय तथा क्षारीय भूमि, बंजर पहाड़ियों की भूमि, जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमियों पर वृक्षारोपण कर सुधार की अधिक प्रबल संभावनायें हैं ।
2. सामाजिक वानिकी के अंतर्गत, खाद्य पदार्थों, ईंधन, लकड़ी, पशुचारा आदि की पूर्ति की जा सकती है ।

– फलदार वृक्षों को लगाकर फलों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है।
– गाँव के लोग ईंधन की पूर्ति के लिए वन की लकड़ी और गोबर के उपले का प्रयोग करते हैं । एक टन गोबर की खाद से 50 किलो/हेक्टेयर अनाज उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । इसके लिए गोबर के उपले का विकल्प खोजना आवश्यक है । और यह कार्य सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है ।
– वर्तमान समय में 'चारागाहों' की संख्या कम होती जा रही है, और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होना कठिन सा हो गया है । ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में या बिगड़े हुए चारागाहों में वृक्षारोपण किया जाये, तो पशुओं का चारा उपलब्ध हो सकता है ।

3. ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विकास के अंतर्गत बढ़ईगिरी, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, लाख उत्पादन ऐसे ग्रामीण उद्योग हैं जो वृक्षों पर आधारित होते हैं । रेशम पालन के लिए – शहतूत, कोसम, अरण्डी, लाख उत्पादन के लिए – बेल पलाश आदि के वृक्षों की आवश्यकता की पूर्ति को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है ।

l;Dr ou izcU/ku %

यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें स्थानीय ग्रामीण एवं वन विभाग द्वारा मिलकर गाँव से लगे जंगल की सुरक्षा एवं विकास किया जाता है । गाँव वालों से काम कराने के लिए वन समितियों का गठन किया जाता है, और इनके द्वारा एक सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाई जाती है ।

leL;k %

& वनों का विनाश और पुर्नत्पादन जैविक कारणों से हो रहा है ।
– औसत से कम वर्षा होने के कारण वनों में लगाये जाने वाले पौधे लगभग 40 प्रतिशत जीवित रह पाते हैं ।
– वन गाँव में रहने वाले वन विभाग की निस्तार प्रणाली पर निर्भर रहते हैं जिसमें विशेषकर चारा और ईंधन शामिल हैं ।
– ग्रीष्म काल में आग लगना एक आम बात हैं, जिसके कारण पुर्नत्पादन, कोमल, प्रजातियाँ, घास तथा गिरी लकड़ी वन्य प्राणियों आदि को हानि पहुंचाती हैं, तथा भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी आती है।

lek/kku %

– जैविक हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाये ।
– ऐसे वृक्ष जो औसत से कम वर्षा वाले स्थानों में पनप सके, जैसे नीम, सीताफल, बबूल, खजूर आदि प्रजाति के पौधा का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ।
– वनों में मानव के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अलग से चारागाह की व्यवस्था होना चाहिए ।
– 'कंट्रोल फायर' एवं 'काउंटर फायर' वाली तकनीकें अपनाना चाहिए ।

ou lja{k.k dh fy, /;ku nsus ;ksX; ckrsa %

& काटे गये वृक्षों तथा वन क्षेत्र अंतर्गत खाली क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहिए ।
– केवल परिपक्व वृक्ष को काटना चाहिए, इससे विकासशील वृक्ष को बढ़ने का अवसर मिलेगा ।
– कटाई के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाना चाहिए, ताकि क्रम से वन विकसित हो सके ।
– वन आवरण का विस्तार करना चाहिए ।
– आग को रोकने के समुचित प्रबंध करना चाहिए ।
– वनों पर दीमक तथा अन्य कीटाणुओं और बीमारियों के बचाव के लिए दवा का छिड़काव करना चाहिए ।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी, कि जितनी सेवा वन मुफ्त में करते हैं, उतनी शायद मनुष्य भी नहीं करते । कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ के अनुसार एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में जितनी सेवा प्रदान करता है, उसका मूल्यांकन जोड़ने पर 15 लाख से भी अधिक आता है ।

– ऑक्सीजन प्रदान करना	ढ़ाई लाख रूपया
– भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में खाद	ढ़ाई लाख रूपया
– प्रदूषण नियंत्रण के रूप में वायु प्रदूषण अवयवों की मुफ्त सफाई	पांच लाख रूपया
– आर्द्रता रोकने, वर्षा करने, खाद्य प्रोटीनों की कीमत जोड़ने पर	पांच लाख रूपया

Mk- d-Vh- nkl u viu i;kZoj.kh; vu|l/kku l ;g fl) fd;k है कि औसत आयु के स्वस्थ्य वृक्ष के काटने पर *0-3 ifr'kr* ही उत्पादन हम लकड़ी के रूप में प्राप्त करते हैं, और वृक्ष के *99-7 ifr'kr* अन्य उत्पादों से हम वंचित रह जाते हैं । अतः पर्यावरण प्रबंधन के लिए पर्यावरण शिक्षा एवं शोध का होना आवश्यक है, शिक्षा, प्रशिक्षण के द्वारा ही पर्यावरणीय समस्याओं का हल खोजा जा सकता है । पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता आज की प्राथमिक आवश्यकता है । यह कार्य एकाकी अथवा संस्था का न होकर सामूहिक रूप से संभव है, इसमें प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका मुख्य है । यदि हम पर्यावरण की शुद्धि चाहते हैं तथा भविष्य में उसे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक रखना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण प्रबंधन पर समुचित ध्यान देना होगा ।

lnHk lph %

1. वर्मा, धनंजय, 'पर्यावरण चेतना' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2004.
2. श्रीवास्तव, बी.के. एवं राव बी.पी. 'पर्यावरण और पारिस्थितिकी' वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 1995.
3. श्रीवास्तव पंकज, 'पर्यावरण शिक्षा' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1989.
4. वर्मा, जी.एस., 'पर्यावरण शिक्षा', इंटरनेशनल पब्लिसिंग हाउस, मेरठ, 2005
5. खन्ना, श्रीवास्तव, आशा एवं आर.के. – प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण प्रदूषण, म.प्र. ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2001.
6. पर्या. दृष्टि, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल, नवम्बर, 2006.
7. शुक्ला, शशिकांत, जनसंख्या और पर्यावरण, प्रांजल प्रकाशन, सागर, 2007
8. प्रतियोगिता दर्पण, पर्यावरण प्रबंधन, नवम्बर 2009
9. प्रतियोगिता दर्पण, ग्लोबल वार्मिंग, फरवरी, 2010
10. बी. कुमार एवं गुप्त, वि. विश्वनारायण, 'जनांकिकी', साहित्य भवन पब्लिसर्स, आगरा 2007
11. दैनिक भास्कर, रविवार 24 जनवरी 2010

***

i ;koj.k ,o tkx : drk

Dr. Kamlesh Narwar: Ass. Prof., Department of Political Science Swami Vivekanand University, Sagar (M.P.)

पर्यावरण की क्षति का परिणाम सर्वनाश हैं। पर्यावरण के प्रति जन–चेतना की अत्यधिक आवश्यकता हैं, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा है। भारतवर्ष में वर्ष 1972 में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अन्तर्गत, राष्ट्रीय पर्यावरणीय, योजना एवं समन्वय समिति स्थापित की गई थी। 1980 में एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा वर्तमान में विद्यमान वैधानिक उपायों एवं प्रशासनिक शासन तंत्र के द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एवं इनको मजबूत करने के उपायों की अनुशंसा कर पुर्नविचार करना था। इस समिति की अनुशंसा पर 1980 में एक पृथक पर्यावरण विभाग को स्थापित किया गया। इस विभाग को 1985 में उन्नत कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का रूप दिया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, जिससे विभिन्न आयु समूह में पर्यावरण चेतना को जाग्रत किया जा सके तथा संबंधित व्यक्तियों को पर्यावरण सूचना तंत्र के द्वारा प्रसारित किया मंत्रालय के द्वारा 1985 में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता को संगठित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 19 नबम्बर से 18 दिसम्बर तक राष्ट्रीय पर्यावरण माह को मनाया जाता है। वर्ष 1997–1998 में प्रचार को प्रमुख वस्तु – ''प्रदूषण निवारण, नियंत्रण एवं संरक्षण'' एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए पेड़–पौधों का रोपण थी। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्कूल स्तर पर पर्यावरण सभा/क्लब को स्थापित करने एवं पर्यावरण पर फिल्म निर्माण के लिए धन प्रदाय किया जाता है।

वर्ष 1992–1993 में नई योजना के अन्तर्गत पर्यावरण वाहिनी को प्रारंभ किया गया, जिससे पर्यावरण जागरूकता को उत्पन्न किया जा सके। और पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अनुक्रियाओं में स्थानीय लोगों को सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 5 केन्द्रो को स्थापित किया गया जिससे जन जागरूकता को विकसित व मजबूत किया जाए एवं प्रमुख क्षेत्रों में शोध एवं प्रशिक्षण को विकसित किया जाए। यह केन्द्र है;

(अ) परिस्थितिकी शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र बेंगलौर।
(ब) खनिज पर्यावरण केन्द्र धनबाद।
(स) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र अहमदाबाद।
(द) CRP पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र चेन्नई।
(ई) पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान का सलीम अली केंन्द्र–कोयम्बटूर।

इस योजना के अन्तर्गत दो और केन्द्रों को प्रोत्साहित किया गया। यह केन्द्र है।

1. अवक्रमणीय पारिस्थितिकी तंत्र का पर्यावरणीय प्रबन्धन का केन्द्र।
2. ऊष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं शोध संस्थान भीरूबन्थापुरम।

वर्ष 1978 में प्रकृति विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया। इसका संबंध पर्यावरण एवं संरक्षण के क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। पृकृति विज्ञान के दो क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर एवं भोपाल में स्थापित किये गये है।

i ;koj.kh; fof/k fuek.k 0;oLFkk

अधिक महत्वपूर्ण विधि निर्माण व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित होती है

1. वन्यजीव (सुरक्षा) नियम, 1972।
2. वन्य (संरक्षण) नियम, 1980।
3. जल (संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण) नियम, 1974।

4. जल (उपकर) नियम, 1977।
5. राष्ट्रीय पर्यावरण अपील सम्बंधी अधिकार, नियम–1977।
6. वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण) नियम, 1981।
7. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986।
8. सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा नियम, 1991।
9. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायधिकरण नियम, 1995।

वन्यजीव संरक्षण नियम 1972, सम्बन्धात्मक एवं आधुनिक वन्यजीव प्रबन्धन की व्यवस्था प्रदाय करना। वन (संरक्षण) नियम, 1980 के द्वारा अन्धाधुन्ध वन कटाई को रोकना, वन भूमि को वन विहीन कार्य के लिए विपथन। जल, वायु नियम जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य साधन है। इसके द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को स्थापित किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 देश में पर्यावरण के संरक्षण और वर्तमान में पाये जाने वाले विधि नियम की कमी को समाप्त करने की केवल एक बिन्दु व्यवस्था करता है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा नियम, 1991 के द्वारा किसी दुर्घटना के कारण या घातक पदार्थो को संभालते समय दुर्घटना वाले मनुष्य को तुरन्त सहायता प्रदाय करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण नियम, 1995 के द्वारा न्यायाधिकरण को शाखाओं सहित स्थापित करना जिससे व्यक्ति, जायदाद को क्षति या फिर किसी घातक पदार्थो के कारण पर्यावरणीय क्षति के लिए क्षति पूर्ति करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपील संबंधी नियम 1977 के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपील संबंधी अधिकार को नियुक्त करना। जिसके द्वारा पर्यावरण से सम्बन्धित अपील की सुनवाई कर सके। उपरोक्त नियमों में समयानुसार परिवर्तन होते रहते है। वर्ष 1986 के पर्यावरण अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने जल, वायु, भूमि के साथ–साथ सम्पूर्ण जीव सृष्टि को पर्यावरण माना है। इस पर्यावरण या इसके किसी भी भाग को क्षति, प्रदूषित करने पर 5 वर्ष से अधिक सजा एवं एक लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2004 में संशोधित किया गया है।

*vFkoZoon esa ifFo dsa lcU/k esa o.kZu fd;k x;k gS ^gs ifFo eka] esa rqe ls mruk gh ikIr d:xk] ftl s rqe iqu% mRiUu dj ldkA rqjh thou 'kfDr ij dHkh Hkh igkj ugha d:xkA**

पर्यावरण जन जागरूकता के अन्तर्गत भारतवर्ष में निम्नलिखित आन्दोलन विशेष रूप से उदा. है।

1- *<u>ueZnk cpkvks vkUnksyu</u>* %& मेधा पाटकर एवं अरूंधती राय एवं बाबा आमटे के साथ नर्मदा नदी के किनारे बसे संबंधित प्रभावित मनुष्यों के साथ यह आन्दोलन अनेक वर्षो से जैव विविधता एवं आदिवासियों के संरक्षण के लिए संचालित हो रहा।

2- *<u>ou fodkl ,oa laj{k.k</u>* %& जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ वृक्षों की रक्षा करना, वन कटाई को रोकने के लिए प्रारंभ हुआ था। जो भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में फैल चुका है, चिपको आन्दोलन डॉ. सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले से यह आन्दोलन प्रारंभ हुआ।

3- *<u>'kkUr ?kkVh vkUnksyu</u>* %& केरल प्रान्त में जल विधुत परियोजना की स्थापना के कारण जो जैव विविधता को क्षति हो रही थी उसको रोकने एवं परियोजना के विरोध में जन जागरूकता आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था।

i;kZoj.k tkx:drk dsa fy, vUrjkZ"Vh; iz;Ru

वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति सम्पूर्ण संसार के जन मानस में जागरूकता में वृद्धि हुई है। पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने एवं समाधान के लिए सम्पूर्ण विश्व में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हुआ है वर्तमान समय में पर्यावरण शोध संरक्षण, चेतना की दिशा में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएँ कार्यरत हैं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व जगाने एवं जन चेतना को व्यापक बनाने के क्षेत्र में निम्न लिखित संगठन/संस्थाएँ प्रमुख है।

¼1½ पर्यावरण सम्मेलन 5 से 6 जून को वर्ष 1972 में स्टाकहोम में हुआ था। विश्व के सभी देश 5 जून को प्रतिवर्ष ''विश्व पर्यावरण दिवस'' को मनाएँ।

इस पर्यावरण सम्मेलन के प्रमुख बिन्दु नि. लि. है।

1. विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का संकल्प
2. दूसरे, दूसरे सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव।
3.. माननीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना।
4. आणविक ऊर्जा अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाना।
5. संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्थाओं के उपाय एवं निर्णय का प्रस्ताव।
6. माननीय पर्यावरण पर घोषणा।
7. राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही हेतु विभिन्न राज्यों के प्रशासन/सरकारों को प्रेषित करने हेतु निर्णय लेना।

स्टाक होम में पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया।

1. पर्यावरण एवं उसका विकास।
2. पर्यावरण तंत्र।
3. प्राकृतिक आपदायें।
4. मानव स्वास्थ्य, आवास एवं बस्तियां।
5. समुद्र।

¼2½ *vUrjk"Vh; Hke.My* %& जैविकी कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम को 1986 में स्थापित कर सम्पूर्ण पृथ्वि तंत्र को संतुलित करने भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कार्य की अन्त क्रिया को समझना एक वर्णन करना प्रमुख उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में निम्न लिखित परियोजनाएँ सम्मिलित है।

¼3½ *ifFo lEeyu* %& 1972 के स्वीडन में आयोजित प्रथम विश्व, पर्यावरण दिवस के पश्चात ब्राजील की राजधानी रियोडिजेनरो में वर्ष 1992 में 3 से 14 जून तक पृथ्वि शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या रियो सम्मेलन से भी जाना जाता है।

¼4½ *eu"; ,o thoe.My dk;Øe o"k 1970 e eu"; ,o thoe.My dk;Øe l;Dr jk"V 'k{kf.kd] oKkfud] lLdr lxBu }kjk ikjHk fd;k x;k FkkA* इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था।

1. जीवमंडल के पारिस्थितिकी संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए उपायों की खोज करना था।
2. मनुष्य के कार्यो एवं प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अन्तः क्रियाओं के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना।
3. यह कार्यक्रम मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच सम्पूर्ण संसार में सुधार करने के लिए प्रयासरत है।

¼5½ *vUrjk"Vh; lg;kx* %& भारत वर्ष का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संयुक्त राष्ट पर्यावरण कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

भारत वर्ष में ही नहीं संसार के सभी देशों में पर्यावरण जन–चेतना जागरूकता के नि. लि. बिन्दुओं को स्वीकारना एवं उसके अनुसार कार्य करना आवश्यक है।

1. पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए।
2. पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं समाधान करने की क्षमता होना चाहिए।
3. पर्यावरण एवं पर्यावरण की क्षति/अनवयन विनाश के संदर्भ में पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में ज्ञान तथा मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के संबंध के बारे में प्रत्येक मनुष्य में समझदारी एवं उसके अनुसार ज्ञान को विकसित करना।
4. प्रमुख परिस्थिति की अवधारणाओं के ज्ञान को विकसित करना।
5. इस प्रकार के उपाय करना जो उच्च शिक्षा के स्तर के प्रत्येक छात्र/छात्रा को पर्यावरण के क्षेत्रों में

भविष्य सुधारने/विकास करने के बारे में चिंतन को उत्पन्न करना।

6. गहन एवं खोजपूर्ण चिंतन में अनुभवों का उपयोग करना।
7. मानव समाज की गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तथ्यों को समझना।
8. पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधनों को पुर्नभंडारित करना। अनुरक्षण/संरक्षण एवं विकास की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

राष्ट्र स्तरीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जन चेतना या जागरूकता उत्पन्न करने में शासकीय एवं अशासकीय तथा स्वयंसेवी संस्थाएं व्यापक एवं महत्वपूर्ण सहयोग कर सकती है। प्राकृतिक सौदर्य, पर्यावरणीय क्षेत्रो प्रदूषण एवं अवनयन के विभिन्न बिन्दुओं पर समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, रेडियों, दूरदर्शन के माध्यम से पर्यावरण, प्रदूषण, क्षति अवनयन एवं उनके बुरे प्रभावों से अवगत कराने का कार्य किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी संस्थाएं/संस्थाएं पर्यावरण की समस्याओं के दुष्प्रभाव, उनके कारणों एवं निदान/निवारण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है। पर्यावरण जन–जागरूकता अभियान छात्र/छात्राओं, महिलाओं, अशिक्षितों, बेरोजगारों एवं गरीब मनुष्यों के अनुरूप होना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण, विकास एवं अच्छे प्रबंधन के द्वारा जनसामान्य की सक्रिय भागीदारी की अनिवार्यता होना चाहिए जन सामान्य के अच्छे कार्यो को पुरस्कृत भी करना आवश्यक है।

विश्व के सभी देशों के द्वारा पर्यावरण जागरूकता में तीव्र गति लानी होगी और प्रत्येक जन मानस में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक विचारों को विकसित करना होना। तभी पर्यावरण के साथ मानव समाज के कल्याण का उद्देश्य पूर्ण होगा।

***